[2019] 15 एस. सी. आर. 464

तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद

वी.

श्री राजकुमार शिवाजी मराठा बोर्ड

हाउस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड ऑर्स।

(2005 की सिविल अपील संख्या 364)

नवंबर 08,2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, दीपक गुप्ता

ए. एन. ए. एन. ए. आर. यू. डी. एच. बोस, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान-वास्तुकला पाठ्यक्रम -

वास्तुकला परिषद (सी. ओ. ए.) (1972 अधिनियम के तहत गठित) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) (1987 अधिनियम के तहत गठित) की राय में किसी भी विरोधाभास के मामले में अंतिम प्राधिकरण के लिए उक्त पाठ्यक्रम-मानदंड और मानक-जारी करने वाले संस्थान

उक्त पाठ्यक्रम के संचालन और उनके कामकाज की निगरानी के लिए संस्थान-इसी तरह के विवाद से जुड़े सात मामले 2005 की मुख्य अपील सी. ए. No.364 में, 2004 में संस्थान का निरीक्षण करने पर प्रतिवादी-संस्थान-सी. ओ. ए. की प्रवेश क्षमता से संबंधित विवाद ने प्रति वर्ष 40 छात्रों की प्रवेश क्षमता को बहाल किया, जिसे पहले घटाकर 30 कर दिया गया था।

तकनीकी शिक्षा विभाग ने ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर 30 छात्रों के लिए इसे तय किया-चुनौती-उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ वास्तुकला पर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के मानदंडों और मानकों को तय करने के लिए अंतिम प्राधिकरण के रूप में सी. ओ. ए. की शक्ति को बरकरार रखा। जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का संबंध है, 1972 का अधिनियम प्रभावी रहेगा।

-

ए. आई. सी. टी. ई. वास्तुकला के विषय में डिग्री और डिप्लोमा के संबंध में कोई नियामक उपाय लागू करने का हकदार नहीं है-मुख्य अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय कायम रहा-2011 के एस. एल. पी. (सी) No.5400 से उत्पन्न दीवानी अपील में, 1972 के अधिनियम में निहित मान्यता की प्रक्रिया को विषय संस्थान के संबंध में आगे कोई प्रवेश होने से पहले लागू किया जाना चाहिए, लेकिन, उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेशों के संदर्भ में पहले से ही किए गए प्रवेश को बाधित नहीं किया जाना चाहिए-यह इस तरह से निर्देशित है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने स्वयं सी. ओ. ए. मानदंडों और उसके द्वारा निर्धारित भवन आवश्यकताओं के अनुपालन को एक वर्ष के भीतर प्रभावी बनाने का निर्देश दिया था।

जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा का संबंध है, संबंधित संस्थान

464 तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंगहाउस कॉलेज। आर्क का।

- 2011 के एस. एल. पी. (सी) No.8443 से उत्पन्न अपील खारिज कर दी गई है।

इसके अलावा, 2011 के एसएलपी (सी) No.20460 से उत्पन्न अपील में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करने का निर्णय

सी. ओ. ए. को शामिल किए जाने के अभाव में अपील के तहत निर्णय में निहित गलत है-हालाँकि, कोई स्वतंत्र निर्देश जारी नहीं किए गए क्योंकि इन अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई थी क्योंकि फैसले में समूह के मामलों और सी. ओ. ए. की शिकायतों को संबोधित किया गया है-एस. एल. पी. (सी) संख्या से उत्पन्न दीवानी अपील। 17005 और 2016 के 17006 का निपटारा मुख्य अपील में निर्णय के संदर्भ में किया जाता है-2018 के एसएलपी (सी) No.28121 से उत्पन्न अपील में, केरल उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है-शामिल संस्थान 1972 के अधिनियम के तहत प्राप्त मान्यता के साथ काम करने का हकदार है-इन अपीलों में पारित अंतरिम आदेश, भंग-वास्तुकार अधिनियम, 1972 एस। 2 (घ), 3,14-21,25,35,43-45-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987-ss। 2 (छ), 3,10,11,22,23,25-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (नई तकनीकी शिक्षा शुरू करने के लिए अनुमोदन का अनुदान)

संस्थान, पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की शुरुआत और अनुमोदन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता) विनियम, 1994-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (शुल्क के लिए मानदंड और दिशानिर्देश और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 1994-वास्तुकला परिषद विनियम, 1982-भाग VIII-खंड 29,30-न्यूनतम

वास्तुकला शिक्षा विनियम 1983 के मानक-खंड 5,8; परिशिष्ट बी, सी-वास्तुकला शिक्षा विनियम, 2015 के न्यूनतम मानक-भारत का संविधान-Art.77-कानूनों की व्याख्या।

क़ानूनों की व्याख्या-पूर्व और बाद के अधिनियम-क्लैशिंग प्रावधान-1972 के अधिनियम में अतिव्यापी प्रावधान (जिसके तहत वास्तुकला परिषद (सी. ओ. ए.) का गठन किया गया है) और 1987 का अधिनियम (जिसके तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) का गठन किया गया है) वास्तुकला शिक्षा के अनुमोदन और बाद की निगरानी के प्रश्न पर-ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से याचिका कि 1987 का अधिनियम बाद में संविधि होने के कारण, सामान्य क्षेत्र को शामिल करता है, 1972 के अधिनियम के प्रावधानों को, जिस हद तक वास्तुकला शिक्षा के साथ वही संबंध हैं, निहितार्थ द्वारा निरस्त किया गया माना जाएगा-आयोजितः यह कानून का एक पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि टकराव वाले प्रावधानों की स्थिति में बाद का अधिनियम हमेशा पहले वाले पर हावी रहेगा, भले ही निरसन का कोई स्पष्ट प्रावधान न हो-वास्तुकार अधिनियम, 1972-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1972 के अधिनियम के तहत गठित सामान्य कानून वास्तुकला परिषद (सी. ओ. ए.) और 1987 के अधिनियम के तहत गठित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.)-वास्तुकला शिक्षा के लिए मानदंड निर्धारित करने और वास्तुकला शिक्षा की निगरानी के पहलू पर अधिक शक्तियां।

ऐसी शिक्षा प्रदान करने में लगे संस्थान-आयोजितः एक विशेष कानून का तात्पर्य है कि वर्तमान कार्यवाही में एक विशेष विषय को शामिल करने वाला एक क़ानून विशेष रूप से संघर्ष का विषय वास्तुकला शिक्षा है-1972 अधिनियम हालांकि केवल वास्तुकला शिक्षा से संबंधित नहीं है-इसके अलावा, 1987 के अधिनियम में एक विशेष कानून की कुछ विशेषताएं हैं जो स्थापना, पर्यवेक्षण और निर्माण के लिए समर्पित है। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की निगरानी, लेकिन इसमें सभी प्रकार के संस्थानों द्वारा दी जाने वाली तकनीकी शिक्षा शामिल नहीं है। इन दोनों कानूनों की योजना और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इनमें से किसी को भी विशेष कानून या सामान्य कानून के रूप में लेबल करना मुश्किल है-वास्तुकार अधिनियम, 1972-अखिल भारतीय तकनीकी परिषद

शिक्षा अधिनियम, 1987।

विधानों की व्याख्या-निहित निरसन का सिद्धांत 1972 के अधिनियम के तहत गठित वास्तुकला परिषद (सी. ओ. ए.) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) के बीच शक्तियों का अतिव्यापी अनुप्रयोग।

1987 वास्तुकला शिक्षा के लिए मानदंड निर्धारित करने और इस तरह की शिक्षा प्रदान करने में लगे संस्थानों की निगरानी के पहलू पर अधिनियम

शिक्षा-दोनों विधानों का प्रमुख उद्देश्य-आयोजितः जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का संबंध है, निहित निरसन का सिद्धांत 1987 के अधिनियम के लागू होने के आधार पर लागू नहीं हो सकता है।

1972 के अधिनियम के उद्देश्य वास्तुकला पर योग्यताओं की मान्यता है एक वास्तुकार का पंजीकरण इस पर निर्भर करता है ऐसी मान्यता प्राप्त योग्यता का अधिग्रहण-उक्त अधिनियम को तकनीकी शिक्षा की परिभाषा में "वास्तुकला" शब्द को शामिल करने के एकमात्र कारण के निहितार्थ से निरस्त नहीं किया जा सकता है-ए. आई. सी. टी. ई. यह स्थापित करने में विफल रहा कि 1972 के अधिनियम के प्रावधानों को निहितार्थ से निरस्त किया गया था-वास्तुकार अधिनियम, 1972-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 - एस. 2 (जी)।

वास्तुकार अधिनियम, 1972 - एस. 17 गैर-अवरोधक खंड

प्रभाव-चर्चा की गई।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 - एस. 2 (जी)-तत्काल मामलों में संघर्ष का विषय वास्तुकला शिक्षा है जो तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद है।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंगहाउस कॉलेज। आर्क का।

1972 के अधिनियम और 1987 के अधिनियम के तहत ऐसे अतिव्यापी क्षेत्र हैं जिनके तहत संबंधित परिषदें अर्थात

शिक्षा (ए. आई. सी. टी. ई.) विनियम बना सकती है-याचिका कि वास्तुकला शिक्षा को विनियमित करने के संदर्भ में इसके बहिष्करण की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा की परिभाषा से अभिव्यक्ति "वास्तुकला"-आयोजितः जहाँ तक इन अपीलों का संबंध है, वास्तुकला को ए. आई. सी. टी. ई. के दायरे से पूरी तरह से बाहर करने के लिए, उस अभिव्यक्ति, यानी वास्तुकला को परिभाषा से हटाना होगा।

तकनीकी शिक्षा-यदि मुद्दे की जांच बाहरी रूप से की जाती है।

संदर्भ में, जो इस मामले में 1972 के अधिनियम के प्रावधान होंगे, ऐसा पाठ्यक्रम अपरिहार्य होगा-परिभाषा खंड में जो कहा गया है उससे अलग अर्थ एक क़ानून के विभिन्न हिस्सों में एक शब्द को दिया जा सकता है यदि संदर्भ की मांग है-विषय

इन अपीलों में शामिल विवाद के लिए तकनीकी शिक्षा की परिभाषा से वास्तुकला शब्द को हटाने की आवश्यकता होती है-इस तरह का पाठ्यक्रम एक क़ानून से बेतुके या अव्यवहारिक परिणामों को रोकने के लिए निर्माण का एक अनुमेय उपकरण भी है-एस के प्रावधानों के संबंध में। 2 (छ) "तकनीकी शिक्षा" की परिभाषा को ऐसा निर्माण देना होगा और "वास्तुकला" शब्द को उन मामलों में अप्रयोज्य माना जाना चाहिए जहां एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए अपने नियामक ढांचे का आयात करता है, हालांकि कोई प्रतिस्थापन नहीं होगा क्योंकि संदर्भ इसकी मांग नहीं करेगा-वास्तुकार अधिनियम, 1972-कानूनों की व्याख्या।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 संबंधित कानूनों के तहत दोनों नियामक प्राधिकरणों को संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। दोनों कानूनों में वास्तुकला के अनुमोदन और निगरानी के प्रावधान हैं।

संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम। जहाँ तक वास्तुकार अधिनियम, 1972 का संबंध है, प्रयुक्त अभिव्यक्ति मान्यता है

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा वास्तुकला शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता देने या वापस लेने के लिए योग्यता और अंतिम प्राधिकरण केंद्र सरकार है। हालाँकि इस तरह की निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैधानिक योजना के तहत सी. ओ. ए. की महत्वपूर्ण भूमिका है। ए. आई. सी. टी. ई. को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 और [2019] 15 एस. सी. आर. के तहत भी मानक निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।

अन्य विषयों के साथ वास्तुकला पर पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड

1987 के अधिनियम की धारा 10 (के) के तहत ए. आई. सी. टी. ई. को मंजूरी देने की आवश्यकता है। संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करना। [पारस 19,25] [492 बी-ई]

1.2 1972 के अधिनियम की धारा 20 अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध प्राधिकरण की मान्यता को वापस लेने से संबंधित है। 1972 के अधिनियम की धारा 21 भी परिषद को अधिकार देती है -

भारत में महाविद्यालयों या संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करें। परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की गुणवत्ता की मान्यता या निगरानी के लिए आवेदन पर विचार करते समय बुनियादी सुविधाओं की जांच करने की सी. ओ. ए. की शक्ति 1972 के अधिनियम की धारा 18,19,20 और 21 से उपजी है। इसके अलावा, प्रस्तुत किए गए विनियमों में से कोई भी वास्तविक मानदंडों को निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन तकनीकी संस्थानों के अनुमोदन के लिए निर्धारित किए जाने वाले मानकों और मानदंडों का उल्लेख करता है, जिसमें वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान शामिल हैं। [पैरा 27,32] [493-एफ-एच; 494 ए-बी; 499-बी]

अजय कुमार बनर्जी और अन्य बनाम। भारत संघ और

अन्य (1984) 3 एस. सी. सी. 127: [1984] 3 एस. सी. आर. 252; तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम। अधियामन शैक्षिक अनुसंधान संस्थान और अन्य (1995) 4 एस. सी. सी. 104:

[1995] 2 एस. सी. आर. 1075; उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई

निगम लिमिटेड बनाम। रबी शंकर पात्रो और अन्य

(2018) 1 एस. सी. सी. 468 [2017] 13 एस. सी. आर. 921; पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद (2013) 3 एस. सी. सी. 385: [2012] 11 एससीआर 1057-प्रतिष्ठित।

वरुण सैनी और ओआरएस। वी. गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ

विश्वविद्यालय (2014) 16 एस. सी. सी. 330 संदर्भित।

2. ए. आई. सी. टी. ई. ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौद्योगिकी के लिए अखिल भारतीय परिषद से निकले एक संदेश का उल्लेख किया है।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंगहाउस कॉलेज। आर्क का।

भारत, जिसका नाम No.F.17 11/2003 TS.IV है। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि जिस ज्ञापन का संदर्भ दिया गया है, वह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। यह ज्ञापन केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त दो प्रावधानों के तहत शक्ति के वैध प्रयोग की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है ताकि - इसे बाध्यकारी बनाएँ। इस ज्ञापन को, सबसे अच्छा, मंत्रालय की एक सलाह माना जा सकता है जिसका प्रवर्तन प्रभाव नहीं है। इसके अलावा, उपरोक्त ज्ञापन संबंधित अधिनियमों की उक्त दो धाराओं में पुनरुत्पादित कानूनों के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा से परे जारी किया गया है। ज्ञापन को कार्यकारी आदेश भी नहीं माना जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत। [पैरा 37,39] [502 बी; 503-एफ-एच]

3. कानून के एक प्रस्ताव के रूप में, ए. आई. सी. टी. ई. का रुख स्वीकार किया जाता है कि विषय में पूर्ण पहचान की आवश्यकता नहीं है - दो प्रतिद्वंद्वी कानूनों का उनके संचालन के प्रारंभ के समय के मानदंड में परीक्षण किया जा रहा है। यह कानून का एक पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि निरसन का कोई स्पष्ट प्रावधान न होने पर भी टकराव वाले प्रावधान होने की स्थिति में बाद का अधिनियम हमेशा पूर्व पर हावी रहेगा। इसके अलावा, एक विशेष कानून का तात्पर्य किसी विशेष विषय को विशेष रूप से शामिल करने वाले क़ानून से है। वर्तमान कार्यवाही में संघर्ष का विषय वास्तुकला शिक्षा है। हालाँकि 1972 का अधिनियम केवल वास्तुकला शिक्षा से संबंधित नहीं है। इस अधिनियम का उद्देश्य वास्तुकारों के पेशे को नियंत्रित या विनियमित करना है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं, एक भाग वास्तुकार के पेशे को विनियमित करने से संबंधित है और दूसरा भाग

वास्तुकला शिक्षा को विनियमित करना। का महत्वपूर्ण भाग

कानून सी. ओ. ए. के गठन से संबंधित है लेकिन उस निकाय का कार्य अनिवार्य रूप से इस प्रतिमा के अन्य दो क्षेत्रों को विनियमित और निगरानी करना है। 1987 का अधिनियम तकनीकी शिक्षा और विशेष रूप से अनुमोदन तकनीकी संस्थानों की कार्यप्रणाली और उनकी निगरानी से संबंधित है। 1987 के अधिनियम के प्रावधानों को 1972 के अधिनियम की धारा 17 में नियोजित गैर-बाध्यकारी खंड द्वारा प्रतिरक्षित नहीं किया गया है। इन दोनों कानूनों की योजना और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया उनमें से किसी को भी विशेष कानून या सामान्य कानून के रूप में लेबल करना मुश्किल है। 1987 के अधिनियम में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थापना, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए समर्पित एक विशेष कानून की कुछ विशेषताएं हैं। लेकिन उक्त क़ानून में तकनीकी शामिल नहीं है।

सभी प्रकार के संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा।

अधिनियम की धारा 2 (एच) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और भारतीदासन विश्वविद्यालय के मामलों में समझाया गया है और

निजी महाविद्यालयों के प्रबंधन संघ। जहाँ तक 1972 के अधिनियम का संबंध है, इसका अनुप्रयोग केवल वास्तुकला शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। इस अधिनियम में वास्तुकला परिषद की स्थापना, वास्तुकला में डिग्री और डिप्लोमा को मान्यता देने और वास्तुकला के पेशे को विनियमित करने पर विचार किया गया है।

वास्तुकार। लेकिन वास्तुकला शिक्षा और वास्तुकारों के पंजीकरण के बीच अंतर-संबंध है। इसके अलावा, 1987 के अधिनियम के तहत तीन विनियम सीधे तौर पर किसी विशिष्ट मानदंड या मानक को निर्धारित नहीं करते हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए। ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा उपरोक्त विनियमों के अनुसरण में ऐसे मानदंड निर्धारित किए गए प्रतीत होते हैं। 1994 के दो विनियम निर्धारित नहीं करते हैं। विशेष रूप से ऐसे मानदंड। 2016 के विनियमों में अनुमोदन प्रक्रिया हस्तपुस्तिका का प्रावधान है जिसे समय-समय पर अनुमोदन दिए जाने के तरीके को निर्धारित करते हुए प्रकाशित किया जा सकता है। [पारस 47-51] [511-E-F; 512-B-D-F; 513-A-C, F-G]

व्हर्लपूल कॉर्प. वी. ट्रेड मार्क्स के पंजीयक (1998)

8 एससीसी 1: [1998] 2 पूरक। एससीआर 359; के. वी. मुथु बनाम अंगमुथु अम्मल (1997) 2 एस. सी. सी. 53 [1996] 10 पूरक।

एस. सी. आर. 188; प्रिंटर्स (मैसूर) लिमिटेड बनाम। अस्स्टेट। सीटीओ (1994)

2 एस. सी. सी. 434; [1994] 1 एस. सी. आर. 682; पुष्पा देवी बनाम। मिलखी राम (1990) 2 एस. सी. सी. 134: [1990] 1 एससीआर 278 -

पर भरोसा किया।

एम/एस। माथरा प्रसाद एंड संस बनाम। पंजाब राज्य और

अन्य [1962] पूरक 1 एस. सी. आर. 913; ए. बी. अब्दुलकादिर बनाम केरल राज्य। 1962 पूरक (2) एस. सी. आर. 741; एसोसिएशन। में से पंजीकरण प्लेट v. भारत संघ (2005) 1 एससीसी 679

: [2004] 6 पूरक। एससीआर 496; टीका रामजी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1956] 1 एस. सी. आर. 393; आर. एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य (1992) 1 एससीसी 335: [1991] 1 पूरक। एससीआर

387 ; यू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हरि शंकर जैन (1978) 4 एससीसी 16: [1979] 2 एस. सी. आर. 355; जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य

[1961] 3 एस. सी. आर. 185; एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट
निजी महाविद्यालय बनाम अखिल भारतीय तकनीकी परिषद
शिक्षा और अन्य (2013) 8 एससीसी 271: [2013] 6
एस. सी. आर. 1054 संदर्भित है।

तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का।

4. अतिव्यापी विषयों के होने के एकमात्र कारण से,

अदालतें तुरंत यह पता लगाने की कवायद में नहीं लग सकती हैं कि क्या एक क़ानून दूसरे को ग्रहण करने का इरादा रखता है। इस तरह की स्थिति में नियामक निकायों का कर्तव्य एक एकीकृत शासन के साथ आना होगा, जिसकी इस न्यायालय को नगर परिषद, पालिया के मामले में उम्मीद थी। वास्तुकला शिक्षा के क्षेत्र में दो नियामक निकायों ने हालांकि यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया है और दूसरी ओर वे मैदान-नियंत्रण को लेकर विवाद में उलझे हुए हैं। ऐसी स्थिति में, सामान्य परिस्थितियों में पहले प्रतिस्पर्धी वैधानिक साधनों के सामंजस्य का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि वह अभ्यास विफल हो जाता है, तो उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि प्रमुख उद्देश्य क्या है या

प्रमुख विषय-एक विशेष क़ानून का विषय और फिर प्रमुख वैधानिक उद्देश्य से मेल खाने के लिए संबंधित विनियमों के परस्पर विरोधी प्रावधानों का अर्थ निकालें। 1972 के अधिनियम के तहत मान्यता और उसके प्रभाव की प्रक्रिया अधिक व्यापक है। सभी

" मान्यता प्राप्त योग्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए वास्तुकला शिक्षा में किसी भी डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता की आवश्यकता होती है। सी. ओ. ए. के तहत

उक्त अधिनियम मान्यता की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिनियम के लागू होने के समय मौजूद संस्थानों को छोड़कर इस तरह की मान्यता प्रक्रिया से गुजरने से किसी भी संस्थान का कोई बहिष्कार या छूट नहीं है। सी. ओ. ए. के पास प्रत्येक प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत व्यापक निगरानी शक्ति भी है जो उक्त अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करता है।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 17 एक गैर-बाध्यकारी खंड से लैस है। 1972 के अधिनियम की धारा 17 में उक्त खंड का निहितार्थ यह है कि भारत में वास्तुकारों के रजिस्टर पर होने के लिए, मान्यता प्राप्त योग्यता पर्याप्त होगी। वहाँ कोई नहीं है

1972 के अधिनियम या उसके तहत किसी भी नियम के तहत प्रावधान जो वास्तुकला में ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थान से प्रशिक्षित व्यक्ति को खुद को एक वास्तुकार के रूप में वर्णित करने या 1972 के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता के बिना खुद को पंजीकृत करने का अधिकार देगा। इस प्रकार अधिनियम की योजना दर्शाती है कि 1972 के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता की कमी किसी व्यक्ति को वास्तुकार के रूप में पंजीकृत होने से वस्तुतः वंचित कर देगी। वह कानूनी रूप से अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा।

भारत में एक वास्तुकार। यह वैधानिक अधिदेश होने के कारण, एक वास्तुकार [2019] 15 एस. सी. आर. की योग्यता की मान्यता की प्रक्रिया में सी. ओ. ए. की भूमिका है।

केंद्र सरकार। ऐसे मामले में 1972 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिया गया केंद्र सरकार का निर्णय स्पष्ट रूप से प्रबल है, बाद वाला दो कानूनों के तहत गठित दोनों परिषदों से बेहतर प्राधिकरण है। [पैरा 54,57 59] [515-एफ-एच; 516-ए; 517-बी-ई-एच; 518-ए-ई]

नगरपालिका परिषद पलाई बनाम। टी. जे. जोसेफ [1964] 2 एस. सी. आर. 87; एल. आई. सी. बनाम डी. जे. बहादुर (1981) 1 एस. सी. सी. 325: [1981] 1 एससीआर 1083-पर भरोसा किया गया।

" न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

सिंह (14 वां संस्करण)-संदर्भित।

तकनीकी शिक्षा, जिसका अर्थ परिभाषित किया गया है वास्तुकला में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम।

"तकनीकी शिक्षा" को विनियमित करने का ए. आई. सी. टी. ई. का कर्तव्य तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद है।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का।

1987 के अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से व्युत्पन्न। जहाँ तक इन अपीलों का संबंध है, वास्तुकला को ए. आई. सी. टी. ई. के दायरे से पूरी तरह से बाहर करने के लिए, उस अभिव्यक्ति, यानी वास्तुकला को तकनीकी शिक्षा की परिभाषा से हटाना होगा। यदि इस मुद्दे की जांच बाहरी संदर्भ में की जाती है, जो इस मामले में 1972 के अधिनियम के प्रावधान होंगे, तो ऐसा मार्ग अपरिहार्य होगा। यदि ए. आई. सी. टी. ई. के रुख को स्वीकार किया जाना है और सी. ओ. ए. की भूमिका को हटा दिया जाता है।

वास्तुकला योग्यता की मान्यता प्रक्रिया, तब केवल ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा रखने वाला व्यक्ति वास्तुकारों के रजिस्टर में नामांकन का हकदार नहीं होगा और वास्तुकार के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं होगा।

वास्तुकार। दूसरा, भारतीदासन विश्वविद्यालय और निजी महाविद्यालय प्रबंधन संघ के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों को देखते हुए, वास्तुकला शिक्षा को विनियमित करने वाले दो समानांतर प्राधिकरण होंगे। सी. ओ. ए. ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों को विनियमित करेगा जबकि ए. आई. सी. टी. ई. बाकी संस्थानों की निगरानी करेगा। इसके अलावा, वास्तुकला शिक्षा में योग्यता को मान्यता देने का केंद्र सरकार का अधिकार एक निकाय, ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और वह भी केवल कुछ श्रेणियों के तकनीकी संस्थानों के संबंध में। इन अपीलों में शामिल विषय-विवाद के लिए तकनीकी शिक्षा की परिभाषा से वास्तुकला शब्द को हटाने की आवश्यकता है। इस तरह का पाठ्यक्रम भी एक अनुमेय उपकरण है। एक कानून से बहने वाले बेतुके या अव्यवहारिक परिणामों को रोकने के लिए निर्माण। [पारस 60-62] [518-F-G; 519-D-H; 520-A]

" एफ. ए. आर. द्वारा वैधानिक व्याख्या पर बेनीयन

बेनिओन, लेक्सिस नेक्सिस द्वारा प्रकाशित पाँचवाँ संस्करण (पृष्ठ 972 पर)-संदर्भित।

इस तरह के निर्माण को देखते हुए और "वास्तुकला" शब्द को उन मामलों में लागू नहीं माना जाना चाहिए जहां ए. आई. सी. टी. ई. तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए अपने नियामक ढांचे का आयात करता है। हालाँकि कोई प्रतिस्थापन नहीं होगा क्योंकि संदर्भ इसकी मांग नहीं करेगा। परिभाषा खंड का यह निर्माण बाहरी संदर्भ के रूप में आवश्यक है। यह 1987 के अधिनियम के कार्यान्वयन में एक अव्यवहारिक परिणाम को रोकने के लिए आवश्यक है। निहित निरसन का सिद्धांत इसलिए [2019] 15 एस. सी. आर. लागू नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का संबंध है, 1987 के अधिनियम के लागू होने के आधार पर। 1972 के अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक वास्तुकला पर योग्यताओं की मान्यता है। एक वास्तुकार का पंजीकरण इस तरह के मान्यता प्राप्त अधिग्रहण पर निर्भर करता है। योग्यता. उक्त अधिनियम को शब्द को शामिल करने के एकमात्र कारण से निहितार्थ द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है।

" वास्तुकला "तकनीकी शिक्षा की परिभाषा में। ए. आई. सी. टी. ई. उक्त प्रावधानों को स्थापित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है।

1972 के अधिनियम को निहितार्थ द्वारा निरस्त कर दिया गया था। [पैरा 63] [520-सी एफ. आई.

6. जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का संबंध है, 1972 का अधिनियम प्रभावी रहेगा। ए. आई. सी. टी. ई. को कोई नियामक उपाय लागू करने का अधिकार नहीं होगा।

वास्तुकला विषय में डिग्री और डिप्लोमा के संबंध में। 1972 के अधिनियम के तहत सी. ओ. ए. और अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंडों और विनियमों का पालन डिग्री और डिग्री के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। वास्तुकला में डिप्लोमा। व्यक्तिगत अपील-(ए) 2005 की अपील No.364 का विषय बनाने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय कायम है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अपील खारिज कर दी जाती है। (ख) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ के 2 फरवरी, 2011 को दिए गए फैसले के खिलाफ तीन अपीलें दायर की गईं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एसएलपी (सी) संख्या 5400/2011 से उत्पन्न दीवानी अपील में अपीलार्थी हैं। दूसरी दीवानी अपील (एसएलपी (सी) No.8443/2011 से उत्पन्न) में अपीलकर्ता भारतीय विद्या मंदिर शिक्षा समिति है। इसमें पहले बताए गए कारणों के लिए

फैसले में, भारतीय विद्या मंदिर शिक्षा समिति की अपील खारिज कर दी जाती है। उच्च न्यायालय ने सी. ओ. ए. द्वारा बताई गई शर्तों के अनुपालन की अपील के तहत फैसले में निर्देश दिया है। इसमें शामिल शैक्षणिक सत्र 2010-2011 है। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय की अपील [2011 की एसएलपी (सी) No.5400] में नोटिस चरण में उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद, समय-समय पर प्रवेश होते थे

इस न्यायालय के अंतरिम निर्देश। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है -

निर्देश दिया कि 1972 के अधिनियम में निहित मान्यता की प्रक्रिया को प्रौद्योगिकी के लिए अखिल भारतीय परिषद विषय संस्थान के संबंध में लागू किया जाना चाहिए।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का।

इससे पहले कि कोई और प्रवेश हो। लेकिन जहां तक इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के संदर्भ में पहले से किए गए प्रवेशों का संबंध है, यह निर्देश दिया जाता है कि इस तरह के प्रवेशों में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। यह निर्देश दिया जाता है, क्योंकि यह पाया जाता है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं अपील के तहत फैसले में सी. ओ. ए. मानदंडों के अनुपालन का निर्देश दिया था और सी. ओ. ए. द्वारा निर्धारित भवन आवश्यकताओं का अनुपालन एक वर्ष के भीतर किया जाना था। इस प्रकार, सी. ओ. ए. मानदंडों का काफी हद तक पालन करने का निर्देश दिया गया। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ए. आई. सी. टी. ई. का इस पर कोई नियामक नियंत्रण नहीं होगा।

जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा का संबंध है, संबंधित संस्थान। 2011 के एस. एल. पी. (सी) No.20460 से उत्पन्न अपील में कहा गया है कि सी. ओ. ए. को एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था।

उक्त रिट याचिका में। प्रतिवादियों की श्रेणी में सी. ओ. ए. को शामिल किए जाने के अभाव में अपील के तहत फैसले में निहित निर्देश जारी करने का उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था। लेकिन कोई स्वतंत्र निर्देश जारी नहीं किया जाता है क्योंकि इन अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई थी क्योंकि फैसले में समूह के मामलों और सी. ओ. ए. की शिकायतों को संबोधित किया गया है। (ग) 2016 के एस. एल. पी. (सी) सं. 17005 से उत्पन्न सिविल अपील और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा 2013 की रिट अपील No.110 और 2013 की रिट अपील संख्या 112 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक सामान्य फैसले के खिलाफ 2016 की एस. एल. पी. (सी) No.17006 की स्थापना की गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय में कहा है कि विवाद बंबई उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले से उत्पन्न अपील के परिणाम के अधीन होंगे। यह पहली अपील है जिस पर हमने इस फैसले में विचार किया है। इन दोनों अपीलों का तदनुसार पूर्ववर्ती उप-अनुच्छेद (ए) में निहित निर्णय के संदर्भ में निपटारा किया जाता है। ए. आई. सी. टी. ई. के पास अपना नियामक लागू करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा का संबंध है, संबंधित संस्थान पर उपाय। (घ) केरल उच्च न्यायालय का निर्णय

एसएलपी (सी) सं. से उत्पन्न सिविल अपील में न्यायालय। 28121 2018 को अलग रखा गया है। अपील की अनुमति है। इस अपील में शामिल संस्थान 1972 के अधिनियम के तहत प्राप्त मान्यता के साथ काम करने का हकदार होगा। इन अपीलों में पारित सभी अंतरिम आदेश भंग हो जाएंगे। सभी जुड़े हुए आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा। [पारस 64-66] [520-F-H; 521-A-H; 522-A-H; 523 A-B]

भारतीदासन विश्वविद्यालय और एक अन्य v. अखिल भारतीय

तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद (2001) 8 [2019] 15 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एससीसी 676: [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 253; खायती गिरीश पूर्णिमा कुलकर्णी बनाम। कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड ओआरएस। (2012) 4 एयर बॉम आर 371; थेजस कॉलेज ऑफ वास्तुकला वी। केरल राज्य और अन्य। निर्णय दिनांकित। 6 डब्ल्यू. पी. में केरल उच्च न्यायालय का अगस्त 2018 (सी) 2018 का सं. 23858-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 3 पूरक। एससीआर 253 पै रा 10 संदर्भित किया गया है

(2012) 4 एयर बॉम आर 371 संदर्भित किया गया है पै रा 14

[1984] 3 एससीआर 252 प्रतिष्ठित पै रा 34

[1995] 2 एससीआर 1075 प्रतिष्ठित पै रा 34

[2017] 13 एससीआर 921 प्रतिष्ठित

पै

रा 34

[2012] 11 एससीआर 1057

प्रतिष्ठित

पै

रा 34

(2014) 16 एससीसी 330

संदर्भित किया गया है

पै

रा 34

[1962] 1 पूरक एससीआर 913

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[1962] 2 पूरक एस. सी. आर. 741

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[2004] 6 पूरक। एससीआर 496

पै

रा 41

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

[1998] 2 पूरक। एससीआर 359

पै

रा 41

[1996] 10 पूरक। एससीआर 188

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[1994] 1 एससीआर 682

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[1990] 1 एससीआर 278

पै

रा 41

उस पर भरोसा करें

[1964] 2 एससीआर 87

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

[1956] 1 एससीआर 393

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[1991] 1 पूरक। एससीआर 387

पै

रा 42

संदर्भित किया गया है

[1981] 1 एससीआर 1083

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

[1979] 2 एससीआर 355

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[1961] 3 एससीआर 185

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2013] 6 एससीआर 1054

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2005 से।

एच के 08.09.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2004 की रिट याचिका संख्या 5942 में बॉम्बे में न्यायिक न्यायालय

के साथ

सिविल अपील सं। 8506 , 8507 , 8511 , 8509 , 8508 , 8510 तकनीक के लिए 20 अखिल भारतीय परिषद।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का।

डॉ. राजीव धवन, अजीत के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , हरीश पांडे, अनिल सोनी, सुश्री सिद्धि पाडिया, नवीन आर. नाथ, नीरज शर्मा, अशोक

माथुर, सुश्री चारू माथुर, शिबाशीष मिश्रा, राजदीपा भेउरा, सुश्री हंसिका साहू, ए. वेनायगम बालन, सुश्री वी. एस. लक्ष्मी, विजय कुमार, थॉमस ओ., अनिरुद्ध पी. मयी, हैरिस बीरन, मुश्ताक सलीम, उस्मान गनी खान, राधा श्याम जेना, वी. एन. रघुपति, मो. अपजल अंसारी, मनेन्द्र पाल गुप्ता, सुश्री बीनू टम्टा, जी. एस. मक्कर, सुश्री सुषमा सूरी, सुधांशु एस. चौधरी, विजय कुमार, थॉमस ओ., सुश्री भारती त्यागी, सुश्री आशा गोपालन नायर, नरेश कुमार, विश्वजीत सिंह, टी. सी. शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, रुपेश कुमार, निशांत रमाकांतराव

कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, राहुल जैन, मिलिंद कुमार, गौतम नारायण, अरुणाभ चौधरी, राहुल प्रताप, अभिषेक रॉय, सुश्री श्रुति चौधरी, डेचेन डब्ल्यू. लाचुंगपा, अरुण श्रीकुमार, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार, सुश्री मानसी बिंजराजका, रागेंथ बसंत, पी. वी. दिनेश, सिंधु टी. पी., मुकुंद पी. उन्नी, राघव मेहरोत्रा, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, मनोज रंजन सिन्हा,

रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस, जे।

1. 2016 के एस. एल. पी. (सी) No.17005 में विलंब को माफ कर दिया गया और

2016 का एसएलपी (सी) No.17006। अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए सभी छह याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

2. अपीलों के इस समूह में मुख्य रूप से यह सवाल शामिल है कि क्या वास्तुकला परिषद (सी. ओ. ए.) का जनादेश है या सभी का

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) किसी संस्थान को मंजूरी देने और उससे संबंधित मामलों के बारे में निर्णय लेगी। यदि इन दोनों निकायों की राय में कोई विरोधाभास है तो वास्तुकला शिक्षा पाठ्यक्रम का संचालन करना। ये दोनों संसदीय विधानों द्वारा गठित नियामक निकाय हैं जिन्हें अनुमोदन या अनुमोदन करने की शक्ति है।

ऐसी संस्था के कामकाज को पहचानें और उसके बाद उसकी निगरानी करें। 3. सी. ओ. ए. की उत्पत्ति वास्तुकार अधिनियम, 1972 (1972 अधिनियम) की धारा 3 के प्रावधानों के कारण हुई है। ए. आई. सी. टी. ई. का गठन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 अधिनियम) की धारा 3 के प्रावधानों के तहत भी किया गया है। जैसा कि इन दोनों कानूनों की प्रस्तावनाओं से पता चलता है, पूर्व को वास्तुकारों के पंजीकरण और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। बाद के क़ानून का उद्देश्य उचित योजना [2019] 15 एस. सी. आर. की दृष्टि से एक परिषद का प्रावधान करना है।

और पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली का समन्वित विकास, नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधारों को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के लिए। 1987 के अधिनियम की धारा 2 (जी) में कहा गया हैः

" तकनीकी शिक्षा का अर्थ है इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर योजना, प्रबंधन, फार्मेसी और अनुप्रयुक्त कला और शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रम।

अन्य कार्यक्रम या क्षेत्र जो केंद्र सरकार, परिषद के परामर्श से, आधिकारिक अधिसूचना द्वारा

राजपत्र, घोषणा करें; "

4. यद्यपि 1972 के अधिनियम की प्रस्तावना वास्तुकारों के पंजीकरण के लिए प्रावधान करने के लिए कानून के उद्देश्य को प्रस्तुत करती है, यह क़ानून वास्तुकला में एक पाठ्यक्रम के शैक्षिक पहलुओं से भी संबंधित है। 1972 के अधिनियम के तहत सी. ओ. ए. के कर्तव्यों में उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए योग्यताओं को मान्यता देने के लिए कदम उठाना शामिल है। अधिनियम द्वारा अनुध्यात ऐसी मान्यता दो स्तरों पर है। के लिए एक अनुसूची है अधिनियम जो नामित भारतीय और विदेशी संस्थानों या निकायों द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा और डिग्री को सूचीबद्ध करता है। 1972 के अधिनियम की धारा 14 उन्हें अधिकारियों के रूप में वर्णित करती है। ये डिग्री और डिप्लोमा मान्यता प्राप्त योग्यताएँ हैं।

वास्तुकला योग्यता को सीधे मान्यता देने की शक्ति से सम्मानित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार उस कवायद को करने का अधिकार रखती है। 1972 के क़ानून के तहत सी. ओ. ए. एक सलाहकार निकाय है। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता का प्रभाव यह है कि इस तरह की मान्यता उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए वास्तुकारों के रजिस्टर में नामांकन के लिए योग्यता पर्याप्त होगी। इस तरह के पंजीकरण के बाद, एक व्यक्ति कर सकता है

कानून के तहत एक वास्तुकार होने का दावा करें। 1972 के अधिनियम की धारा 25 में रजिस्टर में प्रवेश के लिए तीन तरीके निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से मुख्य एक मान्यता प्राप्त योग्यता है। उक्त प्रावधान का उपखंड (बी) प्रारंभिक कार्यकाल के समय वास्तुकारों का अभ्यास करने के अधिकार को संरक्षित करता है।

रजिस्टर तैयार करना। उक्त उपखंड अभी तक प्रासंगिक नहीं है जहाँ तक विषय-विवाद शामिल है। धारा 25 (सी) रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने के लिए एक शर्त के रूप में ऐसी अन्य योग्यताओं को रखने का प्रावधान करती है जो नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

लेकिन तकनीक के लिए ऐसी कोई अखिल भारतीय परिषद नहीं है। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

किसी भी अतिरिक्त योग्यता के लिए प्रावधान करने वाले नियम को पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है। 5. वास्तुकारों की योग्यता के सवाल पर, 1972 के अधिनियम की धारा 2 (डी) किसी भी योग्यता के लिए "मान्यता प्राप्त योग्यता" को परिभाषित करती है।

कुछ समय के लिए वास्तुकला में अनुसूची में शामिल किया गया है या इसकी धारा 15 के तहत अधिसूचित किया गया है। अपीलों के इस समूह में आई. एस. 1972 के अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों से संबंधित नहीं है, जो किसी विदेशी शैक्षणिक निकाय से योग्यता के संबंध में है।

6. हालाँकि, 1972 के अधिनियम में "अनुमोदन" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह अधिनियम वास्तुकला में योग्यता की मान्यता से संबंधित है। 1972 के अधिनियम की धारा 14 में कहा गया हैः -

" 14. भारत में अधिकारियों द्वारा दी गई योग्यताओं की मान्यता। (1) अनुसूची में शामिल या धारा 15 के तहत अधिसूचित योग्यताओं के लिए मान्यता प्राप्त योग्यताएँ होंगी -

इस अधिनियम के उद्देश्य।

(2) भारत में कोई भी प्राधिकरण जो वास्तुकला प्रदान करता है

अनुसूची में शामिल नहीं की गई योग्यता ऐसी योग्यता को मान्यता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार पर लागू हो सकती है, और केंद्र सरकार, परिषद के साथ परामर्श के बाद,

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, अनुसूची में संशोधन करें ताकि उसमें ऐसी योग्यता को शामिल किया जा सके, और ऐसी कोई अधिसूचना यह भी निर्देश दे सकती है कि ऐसी वास्तुशिल्प योग्यता के खिलाफ अनुसूची में एक प्रविष्टि की जाएगी जो यह घोषणा करती है कि यह एक मान्यता प्राप्त योग्यता तभी होगी जब एक निर्दिष्ट तिथि के बाद दी जाएगीः

बशर्ते कि पहली परिषद का गठन होने तक, केंद्र सरकार, उपरोक्त कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति से परामर्श करेगी। आधिकारिक राजपत्र "।

7. 1972 के अधिनियम की धारा 16 के तहत अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित है। यह प्रावधान इस प्रकार हैः

" 16. अनुसूची में संशोधन करने की केंद्र सरकार की शक्ति। धारा की उप-धारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद 14 , केंद्र सरकार, परिषद के साथ परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश देकर अनुसूची में संशोधन कर सकती है कि किसी के संबंध में उसमें एक प्रविष्टि की जाए।

वास्तुशिल्प योग्यता ". [2019] 15 एस. सी. आर.

8. जहाँ तक 1987 के अधिनियम का संबंध है, उसकी धारा 10

निर्दिष्ट करता हैः -

" परिषद की शक्तियाँ और कार्य

10. परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो -

यह समन्वित और एकीकृत सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त हो सकता है।

तकनीकी शिक्षा का विकास और मानकों का रखरखाव

और इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के उद्देश्यों के लिए, परिषद निम्नलिखित कार्य कर सकती हैः

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(i) पाठ्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना,

शारीरिक और निर्देशात्मक सुविधाएं, कर्मचारियों का स्वरूप, कर्मचारी

योग्यता, गुणवत्ता निर्देश, मूल्यांकन और

परीक्षाएँ;

(जे) ट्यूशन और अन्य शुल्क लेने के लिए मानदंड और दिशा-निर्देश तय करना;

(के) नए तकनीकी संस्थान शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना और

नए पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए

संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श;

XXX

XXX

XXX

(एम) तकनीकी को स्वायत्तता देने के लिए मानदंड निर्धारित करना।

संस्थान;

XXX

XXX

XXX

(ओ) तकनीकी में छात्रों के प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करें।

तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान और विश्वविद्यालय;

(पी) किसी भी तकनीकी संस्थान का निरीक्षण या निरीक्षण कराना; (क्यू) पाठ्यक्रमों के संबंध में अनुदान रोकें या बंद करें,

ऐसे तकनीकी संस्थानों के लिए कार्यक्रम जो विफल रहते हैं

परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना

समय की निर्धारित अवधि और ऐसे अन्य कदम उठाएँ जो हो सके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होना

परिषद; "

9. इस निर्णय में कुल मिलाकर सात अपीलों पर विचार किया जाएगा।

जिसमें पहले पैराग्राफ में उल्लिखित विवाद शामिल है।

तकनीक के लिए मुख्य अखिल भारतीय परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

अपील जिस पर हमारे सामने विस्तार से बहस की गई है, वह 2005 की सिविल अपील No.364 है। इस कार्यवाही में अपीलकर्ता ए. आई. सी. टी. ई. है और इसकी अपील 2004 की रिट याचिका No.5942 में 8 सितंबर 2004 को दिए गए बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले के खिलाफ है। इस मामले में विवाद श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस के नाम से एक संस्थान की प्रवेश क्षमता से संबंधित है।

वास्तुकला महाविद्यालय। सी. ओ. ए. ने वर्ष 2004 में महाविद्यालय का निरीक्षण करने पर प्रति वर्ष 40 छात्रों की प्रवेश क्षमता को बहाल करने का फैसला किया, जिसे पहले के दो शैक्षणिक वर्षों, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए घटाकर 30 छात्रों तक कर दिया गया था। इस तरह का कम सेवन

क्षमता 25 अप्रैल 2003 को सी. ओ. ए. और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा किए गए एक संयुक्त निरीक्षण पर आधारित थी। सी. ओ. ए. ने संस्थान द्वारा दाखिल अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद 18 मई 2004 को एक संचार द्वारा 40 छात्रों को प्रवेश क्षमता बहाल करने का निर्णय लिया था। हालांकि, शैक्षणिक वर्ष के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशक ने एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के आधार पर एक ही संस्थान के संबंध में 30 छात्रों की प्रवेश क्षमता तय की। इस तरह की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए, संस्था और ट्रस्ट जो बाद वाले को चलाते थे, ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई की।

उच्च न्यायालय के समक्ष भारत का संविधान। उच्च न्यायालय की पीठ ने निम्नलिखित शर्तों में निर्णय के लिए प्रश्न तैयार कियाः

" 3 ..... क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (संक्षेप में, 'ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम') वास्तुशिल्प संस्थानों के मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने और विनियमित करने के मामले में वास्तुकार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को ओवरराइड करता है। दूसरे शब्दों में, क्या ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम जो कि बाद का अधिनियम है, निहित रूप से है।

वास्तुकार अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त कर दिया।

10. बंबई उच्च न्यायालय की पीठ ने दोनों कानूनों की योजना की जांच करने पर पाया कि 1972 का अधिनियम विशेष रूप से लागू था। मान्यता प्राप्त योग्यताओं के साथ वास्तुकला शिक्षा और पेशे के मानकों के वास्तुकारों और रखरखाव से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पीठ की राय में ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के दायरे में वास्तुकला सहित विभिन्न विषयों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। पीठ ने कहा कि 1972 के अधिनियम को 1987 के अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से निरस्त नहीं किया गया था और ए. आई. सी. टी. ई. अधिकारियों के सेवन क्षमता को कम करने के आदेश को रद्द कर दिया। अन्य बातों के साथ-साथ भारतीदासन विश्वविद्यालय और अन्य बनाम अखिल भारतीय परिषद के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नैतिक शिक्षा और अन्य, 'उच्च न्यायालय ने शक्ति को बरकरार रखा

1972 के अधिनियम के तहत नियामक निकाय के लिए अंतिम प्राधिकरण के रूप मेंपाठ्यक्रम वास्तुकला चलाने वाले संस्थानों के मानदंडों और मानकों को तय करना। जिसके खिलाफ अपील की गई थी, उस फैसले में यह कहा गया था कि

विभिन्न प्राधिकरणों को फोन करनाः -

संबंधित विधानों के तहत उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों और क्षेत्रों में निकाय। ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुझाव दे सके कि वास्तुकला परिषद के अधिकार या स्वायत्तता को कम करने और नष्ट करने का विधायी इरादा जिसका अपना अधिकार है

करने के लिए निर्धारित भूमिका। आर्किटेक्ट्स परिषद की तुलना में ए. आई. सी. टी. ई. की भूमिका सलाहकार और अनुशंसा करने वाली है।

मार्गदर्शक कारक और इस प्रकार उपयुक्त मानकों और गुणात्मक मानदंडों को बनाए रखने के कारण को कम करता है। यह कल्पना करना असंभव है कि संसद ने प्रावधानों को निरस्त करने का इरादा किया था के लिए एक पूर्ण कोड को शामिल करते हुए वास्तुकार अधिनियम

ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 10 जैसे सामान्य प्रावधान को लागू करके वास्तुकारों की योग्यता सहित वास्तुकला शिक्षा।

यह स्पष्ट है कि संसद के समक्ष वास्तुकार अधिनियम था जब उसने ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम पारित किया था और संसद का यह मतलब कभी नहीं था कि वास्तुकार अधिनियम के प्रावधान ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 10 द्वारा निरस्त किए गए हैं। इसलिए हमारा मानना है कि वास्तुकार अधिनियम के प्रावधानों को ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के अधिनियमन द्वारा निहित रूप से निरस्त नहीं किया जाता है क्योंकि जहां तक वास्तुकला संस्थानों का संबंध है, मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए अंतिम प्राधिकरण परिषद होगी।

वास्तुकला। तदनुसार, हम उप निदेशक की अंतर्ग्रहण क्षमता को कम करने के आदेश को रद्द और अलग करते हैं याचिकाकर्ता कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर 40 से 30 तक। नियम यह है कि

तदनुसार प्रार्थना खंड (ए) और (बी) के संदर्भ में लागत के रूप में कोई आदेश के बिना निरपेक्ष बनाया गया।

11. 2011 का एस. एल. पी. (सी) No.5400 भी इसी प्रकार से उत्पन्न होता है।

ओवरसी और इस कार्यवाही में अपीलकर्ता राजीव गांधी हैं

योगिकी विश्वविद्यालय। यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले से उत्पन्न होती है।

1) 8 एस. सी. सी. 676 तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

वास्तुकला महाविद्यालय चलाने वाली एक सोसायटी (भारतीय विद्या मंदिर शिक्षा समिति) द्वारा लिखित याचिका दायर की गई। उक्त रिट याचिका 2011 के डब्ल्यू. पी. No.315 के रूप में दर्ज की गई थी और निर्णय 2 फरवरी, 2011 को दिया गया था। इस मामले में संस्थान को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा शैक्षणिक सत्रों के लिए 80 छात्रों के प्रवेश के साथ बी. आर्क डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

उक्त विश्वविद्यालय से संबद्धता। तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन परामर्श आयोजित करने पर संस्थान को 16 छात्रों को आवंटित किया था। सी. ओ. ए. ने हालांकि यह आदेश दिया था कि उक्त संस्थान

एक अलग भवन, स्वतंत्र विद्यालय या वास्तुकला महाविद्यालय होना चाहिए और इसमें उपरोक्त उद्देश्य के लिए अलग बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। अपीलार्थी विश्वविद्यालय (रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 2) ने संस्थान को सूचित किया कि वह बी. आर्क कार्यक्रम की मंजूरी के बाद उन्हें संबद्धता प्रदान कर सकता है। सीओए द्वारा। यह विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 6 सितंबर 2010 को जारी एक पत्र के खंड 2 में निहित था। उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, जैसा कि अपील के तहत फैसले में दर्ज किया गया था, संस्था की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि वह इस उद्देश्य के लिए अपना भवन बनाएगी।

बी. आर्क। एक वर्ष की अवधि के भीतर डिग्री पाठ्यक्रम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ ने अपीलकर्ता विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि

6 सितंबर 2010 के पत्र में शर्त संख्या 2 के अनुपालन पर जोर दिए बिना संस्थान को अस्थायी संबद्धता देने के संबंध में मामले पर विचार करें। हालांकि, पीठ ने उक्त पाठ्यक्रम के संचालन के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर सी. ओ. ए. की उपरोक्त शर्त का अनुपालन करने का निर्देश दिया और यदि ऐसा कोई अनुपालन नहीं किया गया था, और संस्थान को निर्धारित अवधि के भीतर ए. आई. सी. टी. ई. (उस कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 3) से मंजूरी नहीं मिल सकती थी, तो बी. आर्क के लिए छात्रों का प्रवेश। भविष्य में पाठ्यक्रम को अस्वीकार्य बना दिया गया था। इस निर्णय में दोनों नियामक निकायों की शक्तियों के सह-अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। विश्वविद्यालय जिन प्रश्नों पर इस अपील में इस न्यायालय का निर्णय चाहता है, उनमें से एक यह है कि क्या 1972 के अधिनियम के अनुसरण में बनाए गए विभिन्न विनियमों की उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा इस तरह के निर्देश जारी करने में अनदेखी की जा सकती है।

12. 2011 का एस. एल. पी. (सिविल) सं. 8443 भारतीय विद्या मंदिर शिक्षा समिति होने के नाते संबंधित संस्थान की एक अपील है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का वही निर्णय, 2 फरवरी 2011 को 2011 की रिट याचिका संख्या 315 में दिया गया। इस अपील में भी सी. ओ. ए. और ए. आई. सी. टी. ई. के बीच प्रवेश मानदंडों को तय करने में शक्तियों के टकराव का सवाल उठाया गया है। सी. ओ. ए. की [2019] 15 एस. सी. आर. को निर्देशित करने की शक्ति।

इस अपील में एक अलग इमारत के निर्माण पर विशेष रूप से सवाल उठाया गया है।

13. इसी फैसले पर सी. ओ. ए. द्वारा 2011 के एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 20460 में भी हमला किया गया है। इस अपील में सी. ओ. ए. की एक शिकायत यह है कि उसे रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने वास्तुकला परिषद की मंजूरी पर जोर दिए बिना संस्थान को अस्थायी संबद्धता देने का निर्देश दिया था। 18 जुलाई 2011 को इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने सी. ओ. ए. को यह एस. एल. पी. दाखिल करने की अनुमति दी। अपील के तहत फैसले में उच्च न्यायालय का निर्देश सशर्त था कि प्रतिवादी संस्थान को एक वर्ष की अवधि के भीतर अलग भवन और बुनियादी ढांचे का निर्माण और निर्माण करने की आवश्यकता थी। जहाँ तक भारतीय विद्या मंदिर शिक्षा समिति की बात है, सी. ओ. ए. की यही विशिष्ट आवश्यकता थी।

चिंतित हैं।

14. 2016 का एस. एल. पी. (सिविल) No.17006 ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा स्थापित किया गया है जो एक सामान्य निर्णय और आदेश की वैधता को चुनौती देता है।

2013 की रिट अपील संख्या 110 और 2013 की रिट अपील No.112 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ। इन दोनों अपीलों में विवाद, अन्य बातों के साथ-साथ, सी. ओ. ए. और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा एक बी. एम. एस. एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए दो छात्रों के प्रवेश क्षमता से परे प्रवेश के संबंध में जारी किए गए विरोधाभासी निर्देशों पर था। अब तक की अंतर्ग्रहण क्षमता

लागू शैक्षणिक सत्र के लिए वास्तुकला से संबंधित 80 छात्र थे। ए. आई. सी. टी. ई. की अपीलीय समिति ने सिफारिश की थी कि अतिरिक्त प्रवेश शुल्क, प्रति छात्र एकत्र किए गए कुल शुल्क का पांच गुना, प्रवेश क्षमता से परे प्रवेश के प्रत्येक मामले में लगाया जाना चाहिए था। दूसरी ओर, सी. ओ. ए. ने शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो अतिरिक्त छात्रों के प्रवेश के लिए अपनी मंजूरी इस शर्त पर दी थी कि संस्थान अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2012-2013 के लिए अपनी 80 की प्रवेश क्षमता से कम दो छात्रों को प्रवेश देगा। रिट याचिका में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने खैती गिरीश पूर्णिमा कुलकर्णी बनाम कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा था कि सी. ओ. ए. की मंजूरी पर्याप्त थी और यह आवश्यक नहीं था कि याचिकाकर्ताओं (उपरोक्त न्यास) को ए. आई. सी. टी. ई. से मंजूरी लेनी पड़े। ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा उसी न्यायालय की एक अपीलीय पीठ के समक्ष दायर अपील में, खंड पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

2 2012 (4) एयर बॉम आर 371 ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अंततः इसके अधीन होगा -

उसी मुद्दे पर इस न्यायालय के समक्ष लंबित अपील का परिणाम। यह अपील, हमें अवगत कराया गया है, अपीलों के इस समूह में पहला मामला है। खैती गिरीश पूर्णिमा कुलकर्णी (उपरोक्त) के मामले में, श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस की वास्तुकला परिषद, कोल्हापुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय।

बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। संदर्भित किया गया और उसका पालन किया गया।

15. 2016 का एस. एल. पी. (सिविल) No.17005 भी कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उसी फैसले के खिलाफ है जिसके द्वारा दो रिट दायर किए गए थे।

अपीलों का निपटारा किया गया। ए. आई. सी. टी. ई. इस अपील में अपीलार्थी है। इस अपील की उत्पत्ति बी. एम. एस. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा स्थापित रिट याचिका में निहित है। विश्वेश्वरैया द्वारा जारी परिपत्र की वैधता

19 सितंबर, 2011 को विश्वविद्यालय द्वारा वास्तुकला पढ़ाने वाले सभी संस्थानों को ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य करने पर उस रिट याचिका में सवाल उठाया गया था। रिट याचिका में राज्य सरकार द्वारा 21 सितंबर, 2011 को जारी एक आदेश का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें उसी आवश्यकता के अनुपालन का निर्देश दिया गया था। इस अपील में शामिल मुख्य बिंदु यह है कि क्या एआईसीटीई मानदंडों को लागू किया जा सकता है

वास्तुकला पाठ्यक्रम या नहीं।

16. 2018 का एस. एल. पी. (सिविल) No.28121 (मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन बनाम। कालीकट विश्वविद्यालय और अन्य) यह केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय से उत्पन्न होता है। इस निर्णय में यह माना गया है कि इसके लिए ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी आवश्यक है।

वास्तुकला का एक नया महाविद्यालय शुरू करना। उच्च न्यायालय के समक्ष उस मामले में याचिकाकर्ता उक्त संघ था, जिसने कॉलेज शुरू करने के लिए सी. ओ. ए. की मंजूरी प्राप्त की थी। संबद्ध विश्वविद्यालय कालीकट विश्वविद्यालय ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसका एक कारण यह था कि एसोसिएशन ने ए. आई. सी. टी. ई. से मंजूरी नहीं ली थी। एसोसिएशन ने विश्वविद्यालय द्वारा अपनी संबद्धता को अस्वीकार करने के निर्णय की वैधता पर सवाल उठाते हुए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 29 अगस्त 2018 को दिए गए फैसले में (डब्ल्यू. पी. (सिविल) 2018 का सं. 25412) उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस प्रश्न को संबोधित किया

के रूप में क्या इसके अलावा ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी आवश्यक थी सी. ओ. ए. द्वारा दी गई मान्यता या अनुमोदन। पहले के एक फैसले के बाद

थेजस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में उसी न्यायालय का। डब्ल्यू. पी. में (ग) 2018 की No.23858 ने 6 अगस्त 2018 को निर्णय लिया कि पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ रिट याचिका को इस तर्क पर खारिज कर दिया कि उसे ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी नहीं है।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. इन कार्यवाही की अपील में शामिल कुछ मामलों में, सी. ओ. ए. अलग-अलग संस्थानों के लिए कुछ उपाय निर्धारित कर रहा है

उन्हें सी. ओ. ए. मानदंडों के बराबर लाने का कार्य करना। 1972 के अधिनियम के विशिष्ट प्रावधान या उसके तहत बनाए गए विनियमों में ऐसे सुधारात्मक उपायों को निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं है। हालाँकि, हमारी राय में, इस तरह के निर्देश सी. ओ. ए. को प्रदान की गई नियामक शक्तियों के लिए आकस्मिक हैं।

18. 1972 के अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान हैं जो वास्तुकला की शिक्षा से संबंधित संस्थानों के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करने से संबंधित हैं। इनमें से कुछ प्रावधानों का उल्लेख इस फैसले में पहले भी किया जा चुका है। संबंधित संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी प्रावधान हैं। सी. ओ. ए. के पास नियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों या मानकों के उल्लंघन की स्थिति में केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व करने की भी शक्ति है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इन मानकों को वापस लिया जा सकता है।

मान्यता। केंद्र सरकार को अभ्यावेदन देने के लिए सी. ओ. ए. के भीतर निर्णय लेने का पदानुक्रम भी वैधानिक रूप से निर्धारित किया गया है, जो निरीक्षकों से लेकर कार्यकारी समिति और अंततः परिषद तक चलता है।

19. संबंधित कानूनों के तहत दोनों नियामक प्राधिकरणों के पास इन प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति है -

संबंधित अधिनियम। 1972 के अधिनियम और 1987 के अधिनियम दोनों के तहत कानूनों के दायरे में आने वाले कुछ क्षेत्रों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित की गई है। जहाँ तक सी. ओ. ए. का संबंध है, विनियम बनाने की उनकी शक्ति 1972 के अधिनियम की धारा 45 से प्राप्त होती है। उक्त प्रावधान में कहा गया हैः

" 45. विनियम बनाने की परिषद की शक्ति।

(1) परिषद, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, [आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ असंगत विनियम बना सकती है।

इस अधिनियम से।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -

(क) परिषद की संपत्ति का प्रबंधन;

((ख) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य

परिषद के अध्यक्ष; प्रौद्योगिकी के लिए भारत परिषद।

ईडीयू। वी. प्रिंसेस शिवाजी मराठा डार्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

(ग) परिषद की बैठकें बुलाना और आयोजित करना।

और कार्यकारी समिति या कोई अन्य समिति धारा 10 के तहत गठित, समय और स्थान

ऐसी कौन सी बैठकें आयोजित की जाएंगी,

वहाँ व्यवसाय और आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कोरम का गठन करना;

((घ) कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति के कार्य

धारा 10 के तहत गठित अन्य समिति;

(ई) पाठ्यक्रम और अध्ययन की अवधि और व्यावहारिक

उसमें किसी भी कॉलेज में प्राप्त किया जाना है या मान्यता प्राप्त योग्यताओं के अनुदान के लिए संस्था;

(च) निरीक्षक की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य;

(छ) कर्मचारियों, उपकरणों के मानकों,

आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएँ वास्तुकला शिक्षा;

(ज) व्यावसायिक परीक्षाओं का संचालन,

परीक्षकों की योग्यताएँ और शर्तें ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश;

((i) व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक

और वास्तुकारों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता; और

(जे) कोई अन्य मामला जो दिया जाना है या प्रदान किया जा सकता है।

इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा और जिनके संबंध में

कोई नियम नहीं बनाए गए हैं।

सत्र, और यदि सत्र या उपरोक्त सत्र के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन विनियमन में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि विनियमन नहीं किया जाना चाहिए, इसके बाद विनियम का प्रभाव केवल ऐसे संशोधित रूप में होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना उस विनियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(जोर दिया गया)।

20. ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा विनियम बनाने की शक्ति 1987 के अधिनियम की धारा 23 से उत्पन्न होती है। इस खंड में कहा गया है:

" 23. विनियम बनाने की शक्ति। (1) परिषद, द्वारा

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, नियम नहीं बनाते हैं इस अधिनियम के प्रावधानों और आम तौर पर नियमों के साथ असंगत

इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना। (2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:

(क) परिषद की बैठकों और प्रक्रिया को विनियमित करना।

वहाँ व्यवसाय करने के लिए;

(ख) अधिकारियों की सेवा के नियम और शर्तें और

परिषद के कर्मचारी;

(ग) कार्यकारी समिति की बैठकों को विनियमित करना और

वहाँ व्यवसाय करने की प्रक्रिया;

(घ) चिंता का क्षेत्र, संविधान और शक्तियाँ और

अध्ययन मंडल के कार्य;

(ङ) वह क्षेत्र जिसके लिए क्षेत्रीय समिति की स्थापना की जानी चाहिए और ऐसी समिति का गठन और कार्य।

21. 1987 के अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार की नियमों की शक्ति अधिनियम की धारा 22 से प्राप्त होती है। उक्त प्रावधान

यहाँ:

" 22. नियम बनाने की शक्ति।

(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:

(क) सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

अपने कार्यों का निर्वहन;

((ख) तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों का निरीक्षण;

((ग) बजट और प्रतिवेदन किस रूप और तरीके से तैयार किए जाते हैं।

परिषद द्वारा तैयार किया जाना; तकनीक के लिए भारत परिषद।

ईडीयू। वी. प्रिंसेस शिवाजी मराठा डार्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

((घ) जिस रीति से परिषद् के लेखा किए जाते हैं -

बनाए रखा जाए; और

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

22. केंद्र सरकार को भी इसी तरह की शक्ति प्रदान की गई है

- 1972 के अधिनियम की धारा 44, जो निर्धारित करती हैः

" 44. केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। - (1) द.

केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाएँ।

(2) विशेष रूप से और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

पूर्वगामी शक्ति, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं निम्नलिखित मामले, अर्थात्

((क) जिस रीति से अध्याय 2 के अधीन चुनाव होंगे -

धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

न्यायाधिकरण;

(ख) विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

अपने व्यवसाय के लेन-देन में धारा 14 की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत गठित और विशेषज्ञ समिति के कर्तव्य और उसके सदस्यों को देय यात्रा और दैनिक भत्ते;

(ग) वास्तुकारों के रजिस्टर में शामिल किए जाने वाले विवरण

धारा 23 की उप-धारा (3) के तहत;

(घ) वह प्रपत्र जिसमें धारा 24 की उप-धारा (7), उप-धारा (4) के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

धारा 26 और धारा 33;

(ङ) धारा 24,25,26,27,28,32 के तहत भुगतान किया जाने वाला शुल्क।

और 33;

(च) वे शर्तें जिन पर धारा 27 की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत रजिस्टर में नाम बहाल किया जा सकता है;

(छ) की उप-धारा (3) के तहत समर्थन का तरीका

धारा 27;

(ज) वह तरीका जिसके तहत परिषद जांच करेगी।

(i) रजिस्टर की मुद्रित प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क

धारा 34; और

(जे) कोई अन्य मामला जो इसके द्वारा प्रदान किया जाना है या किया जा सकता है

इस अधिनियम के तहत नियम।

(3) इस धारा के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, इसे बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल हो सकता है, और यदि, सत्र या उपरोक्त सत्र के तुरंत बाद के सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

उस नियम के तहत "।

23. हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान, ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से तीन विनियमों को इस निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री पांडे द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है। पहले का शीर्षक है "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (नए तकनीकी संस्थान शुरू करने के लिए अनुमोदन का अनुदान, पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की शुरुआत और

पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता का अनुमोदन) विनियम, 1994। यह विनियमन ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा 1987 के अधिनियम की धारा 23 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है।

31 अक्टूबर, 1994 को प्रभावी। वर्ष 2016 के 1987 के अधिनियम की धारा 10 और 11 के साथ पठित धारा 23 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग में पहले के विनियमों के अधिक्रमण में बनाए गए एक अन्य विनियम का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन जहाँ तक वर्तमान अपीलों का संबंध है

संबंधित, कार्रवाई के संबंधित कारण 2016 के इस विनियमन से पहले के हैं, सिवाय मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन के मामले को छोड़कर, यानी। एस. एल. पी 2018 का (सिविल) No.28121। अन्य विनियमन का शीर्षक है "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (शुल्क के लिए नियम और दिशानिर्देश और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 1994, जो धारा 23 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है और

धारा 10 (जे) और (ओ), 1987 अधिनियम। यह 20 मई, 1994 की तारीख है। ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से सुनवाई के दौरान कोई अन्य विनियमन या नियम हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है।

तकनीक के लिए भारत परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंसेस शिवाजी मराठा डार्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

24. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रतिनिधित्व किया

वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक का उल्लेख किया है

धारा 45 की उप-धारा (2) के ई. एस. (ई), (जी), (एच) और (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सी. ओ. ए. द्वारा बनाए गए लैशन, 1983

1972 के अधिनियम की धारा 21 पर। एक अन्य दस्तावेज़ जो प्रस्तुत किया गया था

डॉ. धवन की ई यूएस वर्ष 2017 के लिए सीओए की वार्षिक रिपोर्ट है।

जहाँ तक इस दस्तावेज़ का संबंध है, इसकी प्रासंगिकता

इन अपीलों का अनुज्ञप्ति निम्न लिखित सामग्री होगी -

इसमें दो उप-शीर्ष हैं:

" 14.0 में नए संस्थानों की मंजूरी शैक्षणिक सत्र 2017-18:

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान 22 नए संस्थान प्रदान किए गए।

वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करने की मंजूरी और 6 मौजूदा संस्थानों को पीजी प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई थी

पाठ्यक्रम। इसके साथ, मान्यता प्रदान करने वाले संस्थानों की कुल संख्या

के अनुमोदन के साथ वर्ष 2017-18 में वास्तुकला में पाठ्यक्रम

परिषद 468 हैं। परिषद द्वारा स्वीकृत छात्रों का वार्षिक प्रवेश

स्नातक स्तर लगभग 24741, स्नातकोत्तर स्तर है।

1640 की बात है।

15.0 के लिए अनुमोदन का विस्तार

परिषद ने यू. जी. के लिए अनुमोदन का विस्तार या अन्यथा मंजूरी दी और शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं:

i) संस्थानों को B.Arch के लिए अनुमोदन का विस्तार दिया गया।

पाठ्यक्रमः 408

ii) संस्थानों को एम. आर्क के लिए अनुमोदन का विस्तार दिया गया।

पाठ्यक्रमः 64

(iii) 'कोई प्रवेश नहीं' रखने वाले संस्थानः 12

iv) संस्थान ने 'अनुमोदन वापस लेने' पर जोर दियाः एनआईएल

परिषद ने इसके लिए निरीक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की

ई. एम. सी. सत्र 2018-2019 जो निरीक्षण के लिए देय था। "[2019] 15 एस. सी. आर.

इन विषयों पर रिपोर्ट करना वास्तुशिल्प योग्यता प्रदान करने वाले "अधिकारियों" की मान्यता की प्रक्रिया में सी. ओ. ए. की निरंतर भागीदारी को दर्शाता है।

25. हम पाते हैं कि दोनों कानूनों में अनुमोदन के प्रावधान हैं

और संस्थानों द्वारा संचालित वास्तुकला पाठ्यक्रमों की निगरानी। जहाँ तक 1972 के अधिनियम का संबंध है, प्रयुक्त अभिव्यक्ति योग्यता की मान्यता और वास्तुकला शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता देने या वापस लेने के लिए अंतिम प्राधिकरण है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थान केंद्र सरकार है। हालाँकि इस तरह की निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैधानिक योजना के तहत सी. ओ. ए. की महत्वपूर्ण भूमिका है। ए. आई. सी. टी. ई. को 1987 के अधिनियम के तहत भी अधिकार दिया गया है।

"तकनीकी शिक्षा" शब्द के अंतर्गत आने वाले अन्य विषयों के साथ-साथ वास्तुकला पर पाठ्यक्रमों के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना। हमने इस निर्णय में पहले 1987 के अधिनियम की धारा 10 के प्रासंगिक भागों को निकाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों परिषदों ने भी इस समझ को आगे बढ़ाया था। श्री राजकुमार शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस के मामले में दिए गए बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में

वास्तुकला परिषद, (ऊपर), अपील के तहत निर्णय में यह दर्ज किया गया है कि ए. आई. सी. टी. ई. और सी. ओ. ए. द्वारा उस कार्यवाही में शामिल संस्थान के संबंध में संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इसके अलावा, धारा के तहत

3 (3) (ख) 1972 के अधिनियम के अनुसार, सी. ओ. ए. के लिए ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा दो व्यक्तियों को नामित करना आवश्यक है। दूसरी ओर, 1987 के अधिनियम की धारा 3 (4) (एम) में कहा गया है कि ए. आई. सी. टी. ई. में विभिन्न निकायों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, जिसमें सी. ओ. ए. का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य भी शामिल है। 1987 के अधिनियम की धारा 10 (के) में ए. आई. सी. टी. ई. को संबंधित एजेंसियों के परामर्श से अनुमोदन देने की आवश्यकता है।

26. यद्यपि दोनों अधिनियम संबंधित विधानों के मुख्य विषय के कई पहलुओं से संबंधित हैं,

वास्तुकला शिक्षा के लिए मानदंड निर्धारित करने और वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने में लगे संस्थानों की निगरानी के लिए, इन दोनों परिषदों की परस्पर व्याप्त शक्तियां हैं। 1972 के अधिनियम की धारा 14 को इस निर्णय में पहले भी दोहराया गया है। के पहलू पर किसी भी वास्तुशिल्प योग्यता को मान्यता देते हुए, इसकी धारा 18 और 19 में कहा गया है:

" 18. अध्ययन और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी की आवश्यकता की शक्ति। - भारत में प्रत्येक प्राधिकरण जो एक मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करता है, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसे -

परिषद समय-समय पर तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता महसूस कर सकती है।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन और परीक्षाओं से गुजरना, जिस उम्र में अध्ययन और परीक्षाओं के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरना आवश्यक है और ऐसी योग्यता

प्रदान किया जाता है और आम तौर पर इस तरह के प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं के रूप में

योग्यता.

19. परीक्षाओं का निरीक्षण।

1. कार्यकारी समिति, विनियमों के अधीन, यदि -

परिषद द्वारा बनाई गई कोई भी, इतनी संख्या में नियुक्त करता है -

निरीक्षकों को किसी भी कॉलेज या संस्थान का निरीक्षण करना, जहां वास्तुकला की शिक्षा दी जाती है, या केंद्र को सिफारिश करने के उद्देश्य से किसी भी कॉलेज या संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में भाग लेना आवश्यक समझे।

वास्तुकला संबंधी योग्यताओं की सरकारी मान्यता

उस कॉलेज या संस्थान द्वारा दिया गया।

2. निरीक्षक किसी भी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन मानकों की पर्याप्तता पर कार्यकारी समिति को रिपोर्ट करेंगे

कर्मचारियों, उपकरणों सहित वास्तुकला शिक्षा,

आवास, प्रशिक्षण और ऐसी अन्य सुविधाएँ जो ऐसी शिक्षा देने के लिए या प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्तता पर विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं जिसमें वे भाग लेते हैं।

3. कार्यकारी समिति ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति कॉलेज या संस्थान को भेजेगी और उसे भी भेजेगी।

केंद्र सरकार को कॉलेज या संस्थान की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ प्रतियां।

27. 1972 के अधिनियम की धारा 20 को वापस लेने से संबंधित है

अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध प्राधिकरण की मान्यता। इस प्रक्रिया में सी. ओ. ए. की कार्यकारी समिति की रिपोर्ट शामिल होती है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि परिषद को यह प्रतीत होता है कि किसी कॉलेज या संस्थान में आयोजित अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रम या ऐसे कॉलेज या संस्थान में प्रदान किए गए कर्मचारी, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं और प्रशिक्षण विनियमों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो सी. ओ. ए. को उपयुक्त सरकार से मान्यता वापस लेने के लिए अभ्यावेदन करने का अधिकार है। 1972 के अधिनियम की धारा 21 परिषद को भारत में कॉलेजों या संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने का भी अधिकार देती है।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. इन सात को जन्म देने वाले विवाद की प्रकृति से

अपीलों में, यह स्पष्ट है कि दो नियामक निकायों द्वारा बताई गई कमियां मुख्य रूप से संबंधित संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं से संबंधित हैं। आवेदन पर विचार करते समय ऐसी बुनियादी सुविधाओं की जांच करने की सी. ओ. ए. की शक्ति परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की गुणवत्ता की मान्यता या निगरानी 1972 के अधिनियम की धारा 18,19,20 और 21 से उपजी है।

29. सी. ओ. ए. द्वारा केंद्र सरकार की मंजूरी से एक विनियमन तैयार किया गया है जिसका शीर्षक है वास्तुकला परिषद।

विनियम, 1982। 1982 के विनियमों का भाग VIII वास्तुकला के शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण से संबंधित है। इसके खंड 29 और 30 में कहा गया हैः

प्रशिक्षण और परीक्षा के समय उपस्थिति धारा 19 का निष्पादन निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगाः

तरीका, अर्थात्ः -

(2) पंजीयक निरीक्षक या निरीक्षकों और संस्थान के परामर्श से निरीक्षण की तारीख तय करेगा।

(3) कार्यकारी समिति इतनी संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी जो किसी संस्थान का निरीक्षण करने या किसी परीक्षा में भाग लेने और रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

उस पर -

बशर्ते कि ऐसे निरीक्षकों की न्यूनतम संख्या

निरीक्षण दो होगा।

(4) (क) प्रत्येक निरीक्षक अध्यक्ष से प्राप्त करेगा,

कार्यकारी समिति, लिखित रूप में एक औपचारिक आयोग

परिषद की मुहर के तहत;

(ख) अध्यक्ष के निर्देश संस्थान या संस्थानों, अध्ययन के पाठ्यक्रमों और परीक्षा या परीक्षाओं की योजना या प्रशिक्षण कार्यक्रम या कर्मचारियों, उपकरणों, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं सहित शैक्षिक मानकों को निर्दिष्ट करेंगे जिनका निरीक्षण या भाग लेने की आवश्यकता है।

ईडीयू। वी. राजकुमार शिवाजी मराठा गौस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

(ग) अध्यक्ष निरीक्षक को सूचित करेगा कि उसे कार्यकारी समिति को रिपोर्ट करनी है जो प्रस्तुत करेगी।

परिषद को सिफारिशों के साथ उनकी अंतिम रिपोर्ट

इन नियमों के अनुसार;

(घ) पंजीयक निरीक्षक को योग्यताओं या शैक्षणिक मानकों की मान्यता और सुधारों के संबंध में दस्तावेजों और परिषद की सिफारिशों की एक प्रति प्रदान करेगा।

उस पर किए गए और उनके संबंध में किए गए संकल्प

वास्तुकला शिक्षा "।

निरीक्षकों के दायित्व और कर्तव्य। हॉल निरीक्षक का कर्तव्य होगाः

उस संस्था या संस्थान के बारे में ऐसी पूर्व रिपोर्ट, यदि कोई हो, से स्वयं को परिचित कराना जो वह है।

निरीक्षण के लिए नियुक्त कार्यकारी समिति विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय की टिप्पणियों के साथ निर्देश दे सकती है। जाँच निकाय और उस पर परिषद की रिपोर्ट;

अध्ययन का पाठ्यक्रम या अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षा की योजना की मान्यता के लिए आवेदन किया है और यह देखने के लिए कि पाठ्यक्रम नियमों के अनुरूप है शिक्षा और उसके द्वारा निर्धारित मानकों से संबंधित

परिषद;

शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के बारे में कार्यकारी समिति को अपनी राय देना।

या उसके द्वारा निरीक्षण की गई परीक्षा या संस्था; अपनी रिपोर्ट में, क्रम में, सभी आवश्यक

प्रत्येक परीक्षा के लिखित, मौखिक या व्यावहारिक भागों में प्रस्तावित प्रश्न के बारे में विवरण, व्यावहारिक या मौखिक परीक्षा के समय उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सत्र और कक्षा कार्य, निरीक्षण के लिए की गई व्यवस्था, विधि और

बनाने के पैमाने, [2019] 15 एस. सी. आर. द्वारा दिखाए गए ज्ञान के मानक।

सफल उम्मीदवार और आम तौर पर ऐसे सभी विवरण जो परीक्षा के दायरे और चरित्र पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(च) अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में आवश्यक विवरण देना।

शिक्षण के लिए मौजूदा सुविधाओं के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में परिषद की सिफारिशों को किस हद तक प्रभावी बनाया गया है, इसका आकलन करने में कार्यकारी समिति को सक्षम बनाने के लिए संस्थानों की संख्या

के लिए;

(छ) पंजीयक से प्राप्त होने पर, उसकी किसी भी रिपोर्ट की प्रमाण प्रति की मूल के साथ तुलना करना और

परिषद के अभिलेखों में संरक्षण के लिए सही करें, हस्ताक्षर करें और इसे पंजीयक को वापस कर दें।

ऐसी रिपोर्ट की प्रामाणिक प्रति।

(2) निरीक्षक या निरीक्षक की प्रत्येक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाएँगे और उसे कार्यकारी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। (3) निरीक्षकों की रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी, जब तक कि किसी विशेष मामले में कार्यकारी समिति अन्यथा न करे।

निर्देशन करते हैं। (4) गोपनीय चिह्नित निरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की प्रतियां

विश्वविद्यालय या संबंधित परीक्षा निकाय के साथ-साथ संस्थान को इस अनुरोध के साथ भेजा जाए कि प्राधिकरण को प्रेषण की तारीख से छह महीने के भीतर कार्यकारी समिति को ऐसी टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए जो वे सोच सकते हैं।

आवश्यक है।

(5) एक निरीक्षक या निरीक्षक की रिपोर्ट की एक गोपनीय प्रति, विश्वविद्यालय या परीक्षण निकाय की टिप्पणियों के साथ या उस पर संस्था, परिषद के प्रत्येक सदस्य को प्रदान की जाएगी और परिषद द्वारा कार्यकारी समिति की टिप्पणियों के साथ विचार किया जाएगा

परिषद द्वारा अपनी अगली बैठक में विचार के लिए कार्यकारी समिति की टिप्पणियाँ।

(6) निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति, विश्वविद्यालय या परीक्षण निकाय की टिप्पणियों के साथ और संबंधित संस्था और उस पर कार्यकारी समिति की राय, परिषद द्वारा अनुमोदन के बाद, केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाएगी। तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

30. वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक

विनियम 1983 विशेष रूप से शैक्षणिक और वास्तुकला पाठ्यक्रमों की अवसंरचनात्मक विशेषताएँ। उक्त विनियमों के खंड (5) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

(1) प्रथम वर्ष के स्तर पर उम्मीदवारों का स्वीकृत प्रवेश एक वर्ग में अधिकतम 40 से अधिक नहीं होगा। यदि 40 से अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाता है, तो अलग-अलग कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। (2) संस्थान
अपने विवेकाधिकार पर, एक संस्थान से दूसरे विषय में छात्रों के प्रवास की अनुमति दे सकते हैं, जो एक कक्षा में अनुमत अधिकतम प्रवेश से अधिक नहीं हो।

1983 के विनियमों के खंड 8 में आगे कहा गया हैः

" 8. तकनीकी शिक्षा के लिए कर्मचारियों के मानक, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं

(1) संस्थान 1 का शिक्षक/छात्र अनुपात बनाए रखेंगेः 8 .

(2) संस्थानों में कम से कम 12 संकाय होंगे।

100 छात्रों की संख्या के लिए सदस्य।

(3) एक कक्षा में 40 के अधिकतम प्रवेश वाले संस्थान में परिशिष्ट में निर्धारित संकाय पैटर्न हो सकता है।

बी.

(4) संस्थान संकाय सदस्यों को अनुसंधान सहित व्यावसायिक अभ्यास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

(5) संस्थान निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

परिशिष्ट-सी।

(6) संस्थान शिक्षकों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए सदस्य।

इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

संस्थान वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसे मानक, परिषद की राय में, पेशे और शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मानकों से नीचे नहीं आते हैं।

31. इन विनियमों का परिशिष्ट बी पदनाम, वेतनमान और संकाय पदों के लिए निर्धारित की जाने वाली योग्यता से संबंधित है।

इस निर्णय में इसकी सामग्री को पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन अपीलों में शामिल मुद्दों को निर्धारित करने के लिए, परिशिष्ट सी में निहित लोगों को छोड़कर राशन बहुत अधिक महत्व के नहीं हैं। उसके परिशिष्ट सी में लिखा हैः -

" एपेन्डिक्स-सी

भौतिक सुविधाएं वास्तुकला संस्थान एक ऐसी इमारत में स्थित होना चाहिए जिसका तल क्षेत्र प्रति छात्र लगभग 15 sq.m.m हो। इस भवन में कक्षा कक्ष और कम से कम 5 स्टूडियो, पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

संकाय सदस्यों के लिए, पुस्तकालय, कार्यशाला, सामग्री संग्रहालय, प्रयोगशालाएं, प्रदर्शनी/सम्मेलन कक्ष, कार्यालय आवास और छात्रों और कर्मचारियों के लिए सामान्य क्षेत्र। वास्तुकला शिक्षा के लिए प्रति छात्र स्थान की आवश्यकताएँ चाहे वे संस्थान में हों

या छात्रावास में इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे अधिकांश अन्य प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तुलना में अधिक होने के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि चित्र तैयार करने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। यह कारक

अतिरिक्त-पाठ्यचर्या गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं और खेलकूद।

वास्तुकला शिक्षा के लिए विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यशाला/प्रयोगशालाओं में उपकरण भी प्रदान किए जाने चाहिए। छात्रों के लिए स्टूडियो में लॉकर की सुविधा प्रदान करना वांछनीय है।

पुस्तकालय, कार्यशालाएं, प्रयोगशालाएं और फोटोग्राफी इकाई का प्रबंधन छात्रों और संकाय सदस्यों को उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए पर्याप्त सहायक कर्मचारियों के साथ पेशेवर रूप से योग्य कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए। प्रशासनिक भी होना चाहिए।

वास्तुकला संस्थानों को चलाने के लिए सहायक कर्मचारी। कर्मचारियों और छात्रों के लिए छात्रावास आवास और आवासीय आवास प्रदान करना वांछनीय है।

संस्था "।

32. जहाँ तक ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से 1987 के अधिनियम के तहत 1994 के दो विनियमों को हमारे सामने रखा गया है, 20 वीं 1994 के विनियमों में राष्ट्रीय महाविद्यालयों के लिए अनुमोदन मानदंड और प्रवेश क्षमता तय करने पर विचार किया गया है। हालाँकि इस विनियमन का खंड 2 छूट देता है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभाग या कॉलेज, सरकारी कॉलेज, तकनीक के लिए सभी भारतीय परिषद।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

सहायता प्राप्त महाविद्यालय और कुछ अन्य संस्थान इसके आवेदन से। अगला विश्वविद्यालयों और मौजूदा तकनीकी संस्थानों सहित सभी नए तकनीकी संस्थानों पर लागू किया गया है और बहु-स्तरीय निर्णय लेने की संरचना के माध्यम से एक विस्तृत अनुमोदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ए. आई. सी. टी. ई. ने अनुमोदन प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर पूर्ववर्ती विनियमों को हटा दिया है, लेकिन 2016 में बनाए गए विनियमों को छोड़कर, हमारे सामने कोई अन्य विनियम प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए विनियमों में से कोई भी वास्तविक मानदंडों को निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन तकनीकी संस्थानों के अनुमोदन के लिए निर्धारित किए जाने वाले मानकों और मानदंडों का उल्लेख करता है, जिसमें वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान शामिल हैं।

33. 31 अक्टूबर, 1994 के 1994 के विनियमों का खंड 6 अनुमोदन प्रदान करने की शर्तों से संबंधित है, जो निर्धारित करता हैः

" 6. अनुमोदन प्रदान करने की शर्तें। - विनियम 4 के उप-विनियम (1) के तहत प्रत्येक आवेदन को निम्नलिखित के अधीन माना जाएगाः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना, अर्थात्ः

(i) आवेदक की वित्तीय स्थिति विकसित भूमि में निवेश के लिए और मानदंडों के अनुसार संबंधित बुनियादी ढांचा और निर्देशात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मजबूत होगी।

और परिषद द्वारा समय-समय पर और वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित मानकः

((ii) पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

तकनीकी श्रमशक्ति की माँगों का आकलन;

(iii) इस तरह के प्रवेश के लिए परिषद के नियमों और निर्देशों के अनुसार प्रवेश किए जाएंगे।

संबंधित तकनीकी संस्थान या विश्वविद्यालय;

((iv) शिक्षण और अन्य शुल्क परिषद द्वारा निर्धारित समग्र मानदंडों के अनुसार लिया जाएगा।

(v) कर्मचारियों की भर्ती मानदंडों और मानकों के अनुसार की जाएगी।

समय-समय पर परिषद द्वारा निर्दिष्ट;

(vi) निजी तकनीकी संस्थानों के मामले में शासी निकाय

परिषद द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगा;

34. 2005 की सिविल अपील No.364 में ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से उपस्थित होते हुए, यह तथ्य कि वास्तुशिल्प शिक्षा [2019] 15 एस. सी. आर. की मंजूरी और बाद में निगरानी के प्रश्न पर अतिव्यापी प्रावधान हैं।

इन दोनों अधिनियमों के तहत, श्री पांडे द्वारा गंभीरता से विवादित नहीं किया गया है। उनका मुख्य निवेदन यह है कि 1987 का अधिनियम एक बाद का क़ानून है, जिसमें

सामान्य क्षेत्र, 1972 के अधिनियम के प्रावधान, जिस हद तक वास्तुकला शिक्षा से संबंधित हैं, उन्हें निहितार्थ द्वारा निरस्त किया गया माना जाएगा। अजॉय कुमार बनर्जी और अन्य बनाम संघ का मामला इस मुद्दे पर आधारित है।

भारत और अन्य 3 उनकी आगे की अधीनता यह है कि

1987 के अधिनियम के तहत ए. आई. सी. टी. ई. को पहले ही इस न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम अधियामन के मामले में बरकरार रखा जा चुका है।

शैक्षिक अनुसंधान संस्थान और अन्य इसी मुद्दे पर,

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो और अन्य के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले में भी 5 उस पर भरोसा किया गया। पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का मामला उनके इस कथन के समर्थन में है कि ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों में कानून और बाध्यकारी शक्ति है।

और अन्य वरुण सैनी और अन्य के मामले में। बनाम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय 'ने भी तकनीकी संस्थानों की ओर से ए. आई. सी. टी. ई. से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

35. किसी तकनीकी संस्थान को मंजूरी देने और उसके बाद उसकी निगरानी के सवाल पर ए. आई. सी. टी. ई. की प्रधानता रही है। उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम के मामलों में चर्चा की गई

लिमिटेड (ऊपर) और पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य

(ऊपर)। लेकिन इन दोनों मामलों में, एक ही विषय को शामिल करने वाले प्रतिद्वंद्वी नियामक निकायों के बीच अंतर-प्रमुखता का सवाल ही नहीं उठा। पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट (उपरोक्त) के मामले में, विवाद इस सवाल पर था कि क्या एआईसीटीई से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्राप्त किए बिना तकनीकी शिक्षा पर कॉलेज चलाने वाले पाठ्यक्रमों के स्थान को स्थानांतरित किया जा सकता है। अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका, 2008 में राज्य से एन. ओ. सी. प्राप्त करने का प्रावधान है।

सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और एआईसीटीई से संबंधित संबद्ध निकाय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एआईसीटीई के मानदंडों और मानकों की पूर्ति के अधीन हैं। संबंधित कॉलेज बदल गया था।

3 (1984) 3 एससीसी 127

4 (1995) 4 एससीसी 104

6 (2013) 3 एस. सी. सी. 385

7 (2014) 16 एस. सी. सी. 330 ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना स्थान और इस न्यायालय द्वारा उस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदन वापस लेना वैध था, क्योंकि ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता की कानूनी आवश्यकताओं और बाध्यकारी शर्तों का कोई अनुपालन नहीं था। उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में उक्त निगम के कनिष्ठ इंजीनियरों सहित इंजीनियरों की सेवा शर्तों से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ। उस मामले में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक डिप्लोमा धारक जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के रूप में निगम में शामिल हुआ था और सेवा में रहते हुए उसने B.Tech प्राप्त किया था। (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल) की डिग्री। उक्त मानित विश्वविद्यालय को ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी नहीं थी। उस विश्वविद्यालय ने अपनी दूरस्थ शिक्षा शुरू की थी

किसी भी नियामक से अनुमोदन लिए बिना कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) और ए. आई. सी. टी. ई. सहित प्राधिकरण। इस निर्णय में भी भारतीदासन विश्वविद्यालय (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर ध्यान दिया गया था। तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मानित विश्वविद्यालय, जिनके पाठ्यक्रम उपरोक्त मामलों में विवाद का विषय थे, उन्हें ए. आई. सी. टी. ई. के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

विनियमन और ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी के बिना इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकते थे। 36. तमिलनाडु राज्य और एक अन्य बनाम अधियमन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और अन्य के मामले में,

1987 के अधिनियम और मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1923 के बीच कुछ अतिव्यापी प्रावधानों के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद मुख्य रूप से संबद्धता के लिए नियम और शर्तों को निर्धारित करने के पहलुओं पर थे

इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित विभिन्न संस्थान। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1987 के अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्दिष्ट विषयों के संबंध में

तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के संबंध में, यह विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं होगा, बल्कि केंद्रीय अधिनियम और इसके तहत बनाई गई परिषद के पास उस हद तक अधिकार क्षेत्र होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्रीय अधिनियम के लागू होने के बाद, विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों को अप्रवर्तनीय माना जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे तकनीकी कॉलेजों के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह विचार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया था कि केंद्रीय प्रतिमा को संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 66 के साथ-साथ सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत अधिनियमित किया गया था। उस निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे तकनीकी कॉलेजों की संबद्धता के संबंध में विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान और इस तरह की संबद्धता के अनुदान और निरंतरता के लिए शर्तें

8 (1995) 4 एससीसी 104 [2019] 15 एस. सी. आर.

विश्वविद्यालय को चालू रहना था लेकिन संबद्धता के अनुदान और निरंतरता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तें केंद्रीय अधिनियम की धारा 10 के तहत उसे सौंपे गए मामलों के संबंध में परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

37. ए. आई. सी. टी. ई. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने मानव संसाधन मंत्रालय से निकले एक संदेश का उल्लेख किया है

विकास, भारत सरकार, जिसका अर्थ है No.F.17 11/2003 TS.IV। यह संचार विशेष रूप से इस संघर्ष से संबंधित है और निर्दिष्ट करता हैः

" ए. आई. सी. टी. ई. को दिया गया अधिदेश देश में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा के विकास का समन्वय करना है। नई तकनीकी शिक्षा शुरू करने के लिए अनुमोदन अनुदान

संस्थान और नए पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए

संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श करना। हालांकि, वास्तुकला परिषद मुख्य रूप से वास्तुकार पेशे से संबंधित है और वास्तुकार अधिनियम को वास्तुकला के पेशे से संबंधित एक विशेष अधिनियम के रूप में लिया जा सकता है, तकनीकी शिक्षा की समग्र योजना और समन्वय एआईसीटीई के दायरे में आता है। नए पाठ्यक्रम शुरू करने, प्रवेश में वृद्धि, नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए, एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10 (के) के तहत एआईसीटीई के पास शक्ति निहित है। उस प्रक्रिया में ए. आई. सी. टी. ई. को संस्थानों का निरीक्षण करना होता है, उनके बुनियादी ढांचे को देखना होता है, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम में प्रदान की गई शक्ति के अनुसार मानदंड और मानक स्थापित करने होते हैं। वास्तुकार अधिनियम के पास किसी को भी स्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है।

नए पाठ्यक्रमों को स्थापित करना या उन्हें मंजूरी देना या प्रवेश में वृद्धि करना। पेशे के लाभ के लिए, वास्तुकार अधिनियम परिषद को न्यूनतम मानक निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है भारत में महाविद्यालयों या संस्थानों के लिए वास्तुकला शिक्षा। वास्तुकार अधिनियम, 1972 के तहत बनाए गए विनियमों में पांच साल में एक बार संस्थान के निरीक्षण का भी प्रावधान है।

केंद्र सरकार को सिफारिश। इसलिए मंत्रालय को लगता है कि जहां तक संस्थानों के निरीक्षण की बात है तो वैधानिक निकायों के बीच शक्तियों का कोई अतिव्याप्त नहीं है

वे चिंतित हैं। वास्तुकला शिक्षा को ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाना है और सी. ओ. ए. को इसके लिए पंजीकरण बनाए रखना चाहिए।

पूर्णकालिक कार्य पूरा करने वाले वास्तुकारों की मान्यता एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम या सी. ओ. ए. अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित योग्यताएँ।

तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

वास्तुकार अधिनियम, 1972 और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 के तहत विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के मामले पर मंत्रालय में विचार किया गया है और सावधानीपूर्वक जांच के बाद मंत्रालय का विचार है कि वास्तुकला शिक्षा के सभी पहलू ए. आई. सी. टी. ई. के लिए चिंता का विषय होंगे और सी. ओ. ए. इस पर विचार करेगा।

वास्तुकला के क्षेत्र में अपनी व्यावसायिकता को बनाए रखने के लिए वास्तुकार पेशा और नैतिकता।

38. श्री पांडे ने अनुभाग का हवाला देते हुए यह बात हमारे संज्ञान में लाई है।

25 1987 के अधिनियम के अनुसार, यह केंद्र सरकार है जो 1987 के अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के मुद्दों पर निर्णय लेने वाली अंतिम प्राधिकारी है और इसलिए उपरोक्त ज्ञापन दिया जाना चाहिए।

इन दोनों कानूनों से उत्पन्न होने वाले संघर्ष का अर्थ लगाते समय। 1987 के अधिनियम की धारा 25 में कहा गया हैः

" 25. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। (1) अगर कोई

इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों, जो इस अधिनियम के प्रावधानों को हटाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

कठिनाईः

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। (2) इस
धारा के तहत किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

39. 1972 के अधिनियम की धारा 43 के तहत भी ऐसा ही प्रावधान है। लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि जिस ज्ञापन पर

यह ज्ञापन केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त दो प्रावधानों के तहत शक्ति के वैध प्रयोग की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। ताकि इसे बाध्यकारी बनाया जा सके। इस ज्ञापन को, सबसे अच्छा, मंत्रालय की एक सलाह माना जा सकता है जिसका प्रवर्तन प्रभाव नहीं है। इसके अलावा, उपरोक्त ज्ञापन संबंधित अधिनियमों की उक्त दो धाराओं में पुनरुत्पादित कानूनों के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा से परे जारी किया गया है। ज्ञापन को संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत एक कार्यकारी आदेश भी नहीं माना जा सकता है।

भारत।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40. डॉ. धवन का मुख्य निवेदन यह रहा है कि 1972 के क़ानून के बाद से विशेष रूप से कुछ विशिष्ट विषयों के साथ वास्तुकला शिक्षा से संबंधित है।

वास्तुकारों के पेशे को विनियमित करने से संबंधित अन्य क्षेत्रों में, उक्त अधिनियम के प्रावधान 1987 के अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल होने चाहिए। उनके अनुसार यह क़ानून "वास्तुकार" और "वास्तुकला शिक्षा" विशिष्ट है। निहित निरसन के बिंदु पर, उनका निवेदन यह है कि कानून के प्रस्ताव के रूप में, सामान्य परिस्थितियों में पहले के क़ानून के निहित निरसन को केवल इसलिए नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि कानून के सामान्य विषयों वाला एक बाद का कानून तब तक लागू होता है जब तक कि उस प्रभाव का स्पष्ट प्रावधान न हो। इस प्रस्ताव के समर्थन में जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे मेसर्स का मामला है। माथरा प्रसाद एंड संस बनाम पंजाब राज्य और अन्य '। यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि व्यक्त प्रावधान के अभाव में कोई निरसन निहित नहीं किया जा सकता है जब तक कि दोनों क़ानून एक साथ नहीं खड़े हो सकते। उन्होंने एक अन्य प्राधिकरण अर्थात ए. बी. अब्दुलकादिर बनाम का भी उल्लेख किया। राज्य

केरल का 1. बाद के प्राधिकारी पर भरोसा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया है कि यदि बाद का अधिनियम काफी हद तक पूर्व अधिनियम के समान विषय से संबंधित है, तो निरसन का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। ए. बी. अब्दुलकादिर (ऊपर) के मामले में, हालांकि, बाद का क़ानून,

वित्त अधिनियम, एक केंद्रीय कानून में संबंधित कानूनों को निरस्त करने के लिए विशिष्ट प्रावधान थे।

41. उन्होंने यह तर्क देने के लिए कई अधिकारियों का भी उल्लेख किया है कि परिभाषा खंड का सावधानी के साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और यदि वैधानिक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता हो तो ऐसे खंड में दी गई एक विशेष परिभाषा को उलटना पड़ सकता है। उनके अनुसार, संदर्भ हो सकता है

बाहरी और किसी अन्य मौजूदा कानून से संबंधित हो सकता है। इस मुद्दे पर सी. ओ. ए. का मामला यह है कि हालांकि वास्तुकला की परिभाषा में शामिल है " 1987 के अधिनियम में "तकनीकी शिक्षा", में उक्त विषय का कवरेज

इसके तहत बनाए गए नियामक ढांचे की शर्तों का स्वतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सी. ओ. ए. के इस प्रस्तुतिकरण के पीछे तर्क यह है कि 1972 के अधिनियम में वास्तुकला शिक्षा को विशेष रूप से इसके सभी पहलुओं में शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव के लिए उद्धृत अधिकारी हैं:

एस. एन. पंजीकरण प्लेटों का v. यूनियन ऑफ इंडिया "; व्हर्लपूल कॉर्प. वी. व्यापार चिह्न पंजीयक 1 2; के. वी. मुथु बनाम अंगमुथु 9 1962 सप्लीमेंट (1) एससीआर 913 10 1962 सप्लीमेंट (2) एससीआर 741 11 (2005) 1 एससीसी 679

12 (1998) 8 एस. सी. सी. 1 तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

अम्मल 1 3; प्रिंटर्स (मैसूर) लिमिटेड वी. सहायक। सीटीओ; 1 पुष्पा देवी बनाम। मिल्की राम। 1 5

टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य "। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि सामान्य परिस्थितियों में, विशेष कानून को सामान्य कानून पर हावी होना चाहिए।

इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि विधायिका का इरादा 1987 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों से वास्तुकला शिक्षा से संबंधित मानकों और मानदंडों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखना था और 1972 के अधिनियम और संबंधित विनियमों में निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करना था। इस प्रस्ताव के लिए अन्य अधिकारियों पर भरोसा किया गया हैः आर. एस रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य 1 8; एल. आई. सी बनाम डी. जे. बहादुर 1 9; यू. पी राज्य विद्युत बोर्ड बनाम हरि शंकर जैन 2 ओ; और जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड। बनाम U.P.2¹ की स्थिति ये सभी प्राधिकरण हैं जो कानून के प्रस्ताव के समर्थन में हैं कि एक सामान्य प्रावधान को विशेष प्रावधान को स्वीकार करना चाहिए, यदि दो क़ानून सीधे संघर्ष में हैं।

13 (1997) 2 एससीसी 53

14 (1994) 2 एस. सी. सी. 434

15 (1990) 2 एससीसी 134 16 (1964) 2 एससीआर 87

17 ((1956) 1 एससीआर 393

18 (1992) 1 एस. सी. सी. 335

19 (1981) 1 एस. सी. सी. 325

20 (1978) 4 एससीसी 16 21 (1961) 3 एससीआर 185 [2019] 15 एस. सी. आर.

43. उनकी मुख्य निर्भरता भारतीदासन के मामले पर है।

विश्वविद्यालय (ऊपर), उनके इस तर्क के समर्थन में कि जहां तक वास्तुकला में शिक्षा का संबंध है, 1972 के अधिनियम को जीवित रहना चाहिए और 1987 के विधान द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। भारतीदासन के मामले में विश्वविद्यालय, मुख्य मुद्दा यह था कि तकनीकी शिक्षा पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसी विश्वविद्यालय को ए. आई. सी. टी. ई. से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं। उस मामले में विचाराधीन विश्वविद्यालय का गठन भारतीदासन विश्वविद्यालय अधिनियम 1981 के तहत तमिल राज्य के तीन जिलों में संचालन के अपने निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ किया गया था।

नाडू। विश्वविद्यालय ने सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, जैव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी आदि जैसे प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों में पाठ्यक्रम शुरू किए। ए. आई. सी. टी. ई. ने उनकी पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे पाठ्यक्रम चलाने पर आपत्ति जताई थी। इसने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को रोकने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

तकनीकी शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या कार्यक्रम चलाना/संचालित करना। विश्वविद्यालय ने एक याचिका दायर की कि यह 1987 के अधिनियम की धारा 2 (एच) में निहित तकनीकी संस्थान की परिभाषा के भीतर नहीं आएगा और इस प्रकार यह इसकी धारा 10 (के) के दायरे से बाहर है। 1987 के अधिनियम की धारा 2 (एच) में कहा गया हैः

शिक्षा, और इसमें ऐसे अन्य संस्थान शामिल होंगे जिन्हें केंद्र सरकार, परिषद के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तकनीकी संस्थान घोषित कर सकती है। इस फैसले में कहा गया थाः

" 15. संक्षेप में कहें तो ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 10 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब भी अधिनियम किसी "विश्वविद्यालय" को शामिल नहीं करता है, तो अधिनियम के प्रावधानों में विशेष रूप से इसका प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए, जबकि धारा 10 के खंड (के) के तहत केवल "तकनीकी संस्थानों" का उल्लेख किया गया है, धारा 10 का खंड (0) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले "तकनीकी संस्थानों" और "विश्वविद्यालयों" में छात्रों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। यदि हम अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत "तकनीकी संस्थान" की परिभाषा को देखें, तो यह स्पष्ट है कि एक "तकनीकी संस्थान" में "विश्वविद्यालय" शामिल नहीं हो सकता है। विधायिका का स्पष्ट इरादा यह नहीं है कि सभी संस्थानों, चाहे वे विश्वविद्यालय हों या अन्यथा, को "तकनीकी संस्थानों" के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें प्रौद्योगिकी के लिए भारत परिषद शामिल है।

ईडीयू। वी. प्रिंसेस शिवाजी मराठा डार्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

अधिनियम द्वारा। यदि यही इरादा था, तो विधायिका के लिए कोई कठिनाई नहीं थी कि वह केवल "विश्वविद्यालय" को उसकी परिभाषा से बाहर करके "तकनीकी संस्थान" की परिभाषा प्रदान करे और इस तरह अधिनियम के कई प्रावधानों में "तकनीकी संस्थान" और विश्वविद्यालय दोनों शब्दों के साथ उपयोग करने की आवश्यकता से बच जाए। "तकनीकी संस्थान" की परिभाषा में "विश्वविद्यालय" को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। जब परिभाषा के अनुसार ए

" विश्वविद्यालय को "तकनीकी संस्थान" से बाहर रखा गया है, यह व्याख्या करने के लिए कि ऐसा खंड या ऐसी अभिव्यक्ति जहां भी "तकनीकी संस्थान" अभिव्यक्ति आती है, उसमें एक "विश्वविद्यालय" शामिल होगा जो अधिनियम में पढ़ा जाएगा जो उसमें प्रदान नहीं किया गया है। नए तकनीकी संस्थान शुरू करने के लिए अनुमोदन देने की शक्ति और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से नए पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की शुरुआत धारा 10 (के) के अंतर्गत आती है, जिसमें "विश्वविद्यालय" नहीं बल्कि केवल एक "तकनीकी संस्थान" शामिल होगा। अगर

धारा 10 (के) में एक "विश्वविद्यालय" शामिल नहीं है, बल्कि केवल एक "तकनीकी संस्थान" शामिल है, एक विनियमन इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है ताकि "तकनीकी" के संबंध में बनाए गए विनियमन को लागू किया जा सके।

"विश्वविद्यालयों में आवेदन करने के लिए जब अधिनियम एक" "विश्वविद्यालय" "और एक" "तकनीकी संस्थान" "के बीच एक पूर्ण द्विभाजन बनाए रखता है।" इस प्रकार, हमें अपना ध्यान मुख्य रूप से उस अधिनियम में अपनाई गई भाषा पर केंद्रित करना होगा। इस मामले को देखते हुए, यह आवश्यक भी नहीं है कि

अन्य अधिनियमों के दायरे की जांच करें या क्या अधिनियम विश्वविद्यालय अधिनियम पर प्रबल है या संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 की तुलना में सूची I की प्रविष्टि 63 से 65 के तहत आने वाली प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियों के प्रभाव की जांच करें।

16. तथ्य यह है कि शुरू में अपीलार्थी विश्वविद्यालय का सिंडिकेट

ए. आई. सी. टी. ई. से मंजूरी लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद उन तर्ज पर मामले को आगे नहीं बढ़ाया या कि अन्य समान संस्थाएं इसे प्राप्त करने के लिए इस तरह का रास्ता अपना रही थीं और एम. सांबशिव राव में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि मामला [(1997) 1 एक एल. टी. 629 (एफ. बी.)] ने मामले के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण लिया था जो ऐसे कारण नहीं हैं जिन्हें कानून में स्वीकार किया जा सकता है।

अपीलार्थी के अनुरूप नहीं होना। न ही ऐसे कारण अपीलार्थी विश्वविद्यालय के दावों को अस्वीकार करके किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष को आकर्षित करने और राहत से इनकार करने के लिए प्रासंगिक या उचित कारक हो सकते हैं। हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का बयान भी दर्ज करते हैं, जो हमारे विचार में, अन्यथा भी सही [2019] 15 एस. सी. आर. है।

कानून की स्थिति, कि विचाराधीन विनियमन के संदर्भ में अपीलार्थी की चुनौती और ए. आई. सी. टी. ई. का दावा कि

अपीलार्थी विश्वविद्यालय को एक विभाग शुरू करने या एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. से पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। तकनीकी शिक्षा में कार्यक्रम का मतलब यह नहीं है कि तकनीकी शिक्षा और रखरखाव के समन्वित और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों का पालन करने का उनका कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं है।

मानकों का "।

44. निजी महाविद्यालयों के प्रबंधन संघ बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और

अन्य 22, विवाद निजी कॉलेजों के बीच था, जिसमें एक तरफ भारतीदासन विश्वविद्यालय से संबद्ध कुछ कॉलेज और दूसरी तरफ ए. आई. सी. टी. ई. शामिल थे, मोटे तौर पर उसी प्रश्न पर था जिसने इस न्यायालय को भारतीयदासन विश्वविद्यालय के मामले में शामिल किया था। इस निर्णय में, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के कुछ हिस्सों का उल्लेख करते हुए

पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट (ऊपर), यह आयोजित किया गया थाः

" 52. पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट मामले में उक्त निर्णय के तिरछे अंश [पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम। ऊपर उल्लिखित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (2013) 3 एस. सी. सी. 385] यह स्पष्ट करेगा कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम में अन्य वैधानिक निकायों के अधिकार या स्वायत्तता को कम करने और नष्ट करने के इरादे का कोई सबूत नहीं है, जिन्हें उन्हें निष्पादित करने के लिए सौंपा गया है। इसके अलावा, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम का इरादा विश्वविद्यालयों को बेहतर या पर्यवेक्षण या नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण बनने का नहीं है और इस तरह उक्त विश्वविद्यालयों पर खुद को अधिरोपित करना है।

विश्वविद्यालय केवल इसलिए कि वे तकनीकी शिक्षा या कार्यक्रमों में कुछ शिक्षण मानकों को निर्धारित कर रहे हैं।

किसी भी विभाग या इकाई में तैयार किया गया। यह स्पष्ट है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को लागू करते समय, संसद यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 के प्रावधानों, विशेष रूप से उपरोक्त उपबंधों के अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से सचेत थी। इसलिए, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 2 (एच) में "तकनीकी संस्थान" की परिभाषा जो ए. आई. सी. टी. ई. को कुछ चीजें करने के लिए अधिकृत करती है, का विशेष ध्यान रखा गया है।

जहाँ भी और जब भी अकेले ए. आई. सी. टी. ई. का उल्लेख किया गया, वहाँ जानबूझकर विश्वविद्यालय का विशेष उल्लेख किया गया।

एक विश्वविद्यालय और उसके विभागों के साथ भी बातचीत करने की उम्मीद है

22 (2013) 8 तकनीक के लिए एस. सी. सी. 271 भारत परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंसेस शिवाजी मराठा डार्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

घटक संस्थानों और इकाइयों के रूप में। ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 10,11 और 12 के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद यह माना गया कि विश्वविद्यालयों की तुलना में ए. आई. सी. टी. ई. को प्रदान किए गए निरीक्षण की भूमिका उचित सुनिश्चित करने के उद्देश्य तक सीमित है।

तकनीकी शिक्षा, (2001) 8 एस. सी. सी. 676] ने यह अवलोकन करते हुए यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि उसने अधिनियम के दायरे की जांच की है कि क्या ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम यू. जी. सी. अधिनियम पर प्रबल है या सक्षम प्रविष्टियों का तथ्य संविधान की अनुसूची VII की सूची I प्रविष्टि 66 बनाम सूची III प्रविष्टि 25 में आता है। 53. उपरोक्त अनुच्छेदों का संचयी पठन

भारतीदासन विश्वविद्यालय मामला [भारतीदासन विश्वविद्यालय बनाम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (2001) 8 एस. सी. सी. 676] जो ऊपर निकाला गया है, यह बहुत स्पष्ट करता है कि इस न्यायालय ने विश्वविद्यालयों, इसके कॉलेजों, घटक संस्थानों और इकाइयों को पूर्व अनुमोदन लेने से छूट दी है। ए. आई. सी. टी. ई. से साथ ही, पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट मामले के पैरा 19 और 20 को पढ़ने से [पार्श्वनाथ]

चैरिटेबल ट्रस्ट v. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (2013) 3 एस. सी. सी. 385] यह ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान के प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद स्पष्ट किया गया है।

आयोग अधिनियम, 1956 कि ए. आई. सी. टी. ई. की भूमिका बनाम विश्वविद्यालय केवल सलाहकार, अनुशंसा करने वाले और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं और उनके पास स्वयं किसी भी प्रतिबंध को जारी करने या लागू करने का कोई अधिकार नहीं है।

54. विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के सवाल पर इन मामलों में इस अदालत द्वारा निर्देशित यू. जी. सी. द्वारा दायर हलफनामे से यह सही बताया गया है कि हलफनामा बहुत ही यांत्रिक है और इसमें बिना किसी आधार के सरलता से और बिना किसी कानूनी प्रावधान के संबद्ध कॉलेजों सहित तकनीकी संस्थानों के रूप में जोड़ा गया है। फाउंडेशन। यू. जी. सी. द्वारा दायर हलफनामे के पैरा 13,14,15 और 19 और पैरा 23 में किया गया दावा बिना किसी तथ्यात्मक के है।

फाउंडेशन, जो नीचे के रूप में पढ़ता है:

" कि यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संबद्ध कॉलेज अलग हैं

और घटक महाविद्यालयों से अलग। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि घटक महाविद्यालयों में संबद्ध महाविद्यालय भी शामिल हैं।

इसके अलावा, यू. जी. सी. का दावा, जैसा कि डॉ. धवन ने 2004 के सी. ए. संख्या 1145 में अपीलार्थी की ओर से दायर लिखित निवेदन में सही बताया था कि यह दावा कि यू. जी. सी. के पास तकनीकी संस्थान की मंजूरी देने का कोई प्रावधान नहीं है, आसान है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है कि ए. आई. सी. टी. ई. मानदंड यू. जी. सी. के माध्यम से संबद्ध कॉलेजों में लागू किए जा सकते हैं। यह केवल यू. जी. सी. को शिक्षा के मानकों और अन्य पहलुओं को तैयार करने के लिए सलाह दे सकता है। भारतीदासन विश्वविद्यालय में निर्धारित कानून को देखते हुए [भारतीदासन विश्वविद्यालय बनाम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (2001) 8 एस. सी. सी. 676] और पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट [पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (2013) 3 एस. सी. सी. 385] मामले, विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. धवन के पास हैं।

यू. जी. सी. के शपथ पत्र की अस्वीकृति के लिए सही ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसे हमें स्वीकार करना होगा क्योंकि यह बिना किसी तथ्यात्मक आधार के है और अधिनियम के इरादे और उद्देश्य के विपरीत भी है।

45. अपीलों के इस समूह में विभिन्न संस्थानों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने व्यापक रूप से उनकी ओर से दिए गए तर्कों का समर्थन किया है।

सी. ओ. ए. मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन के विद्वान वकील [2018 के एस. एल. पी. (सी) No.28121 में अपीलार्थी] ने निर्णय की आलोचना की है।

कालीकट विश्वविद्यालय ने उक्त संस्थान को संबद्धता देने से इनकार कर दिया। वास्तुकला शिक्षा विनियमन, 2015 के न्यूनतम मानकों के विनियमन 15 (3) का संदर्भ दिया गया है, जिसमें 3 वर्ष का समय दिया गया है।

उक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले महाविद्यालय के लिए विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए भवन प्रदान करना। वास्तव में, उक्त संस्थान की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विश्वविद्यालय ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी की मांग नहीं कर सकता है और केरल राज्य के भीतर, 1972 के अधिनियम के तहत दी गई मान्यता के आधार पर वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले कई संस्थान थे। 46. भारतीदासन विश्वविद्यालय (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि 1987 के अधिनियम में, विधायिका द्वारा एक तकनीकी संस्थान और कुछ अन्य प्रकार के संस्थानों के बीच अंतर किया गया है।

संस्थान जिन पर उचित रूप से गठित विश्वविद्यालयों द्वारा किसी अन्य प्रकार की निगरानी या पर्यवेक्षण किया जाता है। यह 1987 के अधिनियम के तहत तकनीकी संस्थान की परिभाषा से स्पष्ट होगा।

धारा 10 तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

(1987 के अधिनियम के के) और (एम) भी विशेष रूप से तकनीकी संस्थान से संबंधित हैं। इस प्रकार 1987 का अधिनियम एक तकनीकी संस्थान के विश्वविद्यालय नहीं होने की विशिष्ट विशेषता को मान्यता देता है। इसके तहत गठित परिषद के पास तकनीकी संस्थानों पर पर्यवेक्षी और निगरानी करने की शक्ति है जो तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय नहीं हैं। यह मुख्य तर्कों में से एक था कि इस न्यायालय द्वारा भारतीदासन विश्वविद्यालय (उपरोक्त) के मामले में यह क्यों पाया गया कि उक्त विश्वविद्यालय ए. आई. सी. टी. ई. के नियामक दायरे से बाहर रहेगा। मोटे तौर पर इसी तर्क का पालन दूसरे प्राधिकरण, एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेज (उपरोक्त) में किया गया था। अधियामन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और अन्य (ऊपर) का मामला था

इस निर्णय में विशिष्टता और उस संबंध में प्रासंगिक पैराग्राफ का उल्लेख इस निर्णय में पहले किया गया है। ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से उद्धृत अधिकारियों में से कोई भी, हालांकि, ऐसी स्थिति से संबंधित नहीं है जहां एक ही विषय पर अतिव्यापी शक्ति से संबंधित एक पूर्व-मौजूदा केंद्रीय कानून है जो "तकनीकी" की परिभाषा के भीतर आता है। शिक्षा "।

47. सी. ओ. ए. इन अपीलों में इस आधार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है कि 1972 का अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और ए. आई. सी. टी. ई. का रुख है।

दूसरी ओर यह है कि 1987 का अधिनियम बाद की तारीख में मूर्ति पुस्तिका में आने के बाद, इसके प्रावधान तब प्रबल होने चाहिए जब वे पहले के क़ानून के साथ टकराव में हों। कानून के एक प्रस्ताव के रूप में, हम ए. आई. सी. टी. ई. के इस रुख को स्वीकार करते हैं कि विषय में पूर्ण पहचान की आवश्यकता नहीं है।

दो प्रतिद्वंद्वी कानूनों के मामलों का उनके संचालन के प्रारंभ के समय के मापदंड में परीक्षण किया जा रहा है। एक बार फिर, एक प्रस्ताव के रूप में

कानून के अनुसार, प्रतिद्वंद्वी निकायों द्वारा प्रचारित कानून का सिद्धांत निर्माण के स्वीकृत उपकरण हैं। लेकिन उन्हें किसी दिए गए मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की आवश्यकता होती है। यह कानून का एक पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि निरसन का कोई स्पष्ट प्रावधान न होने पर भी टकराव वाले प्रावधान होने की स्थिति में बाद का अधिनियम हमेशा पूर्व पर हावी रहेगा। अजॉय कुमार बनर्जी (ऊपर) के मामले में, क़ानूनों की व्याख्या, बारहवें संस्करण पर मैक्सवेल का उल्लेख करते हुए यह आयोजित किया गया थाः

" 39. पाठ और निर्णयों से, चार परीक्षण अनुमानित हैं।

और ये हैंः (i) विधानमंडल को बाद के विधान के माध्यम से पहले से घोषित कानून को बदलने का निस्संदेह अधिकार है, (ii) एक विशेष कानून को एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा बाद के सामान्य कानून द्वारा बदला जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है, (iii) बाद का सामान्य कानून एक पूर्व विशेष कानून को ओवरराइड करेगा यदि दोनों प्रत्येक [2019] 15 एस. सी. आर.

अन्य कि वे सह-अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं, भले ही उस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान सामान्य कानून में नहीं पाया गया हो, और (iv) यह केवल

इसके विपरीत प्रावधान का अभाव और एक स्पष्ट विसंगति कि एक विशेष कानून बाद के सामान्य कानून से पूरी तरह से अप्रभावित रहेगा।

अपने क्षेत्र या संचालन के क्षेत्र को शामिल करने वाला अधिनियम। एक विशेष कानून का तात्पर्य एक कानून से है जो विशेष रूप से एक विशेष विषय को कवर करता है। वर्तमान कार्यवाही में संघर्ष का विषय वास्तुकला शिक्षा है। 1972 का अधिनियम हालाँकि यह केवल वास्तुकला शिक्षा से संबंधित नहीं है। इस अधिनियम का उद्देश्य वास्तुकारों के पेशे को नियंत्रित या विनियमित करना है। इसमें दो हैं।

मुख्य विशेषताएँ, एक भाग वास्तुकार के पेशे को विनियमित करने से संबंधित है और दूसरा भाग वास्तुकला शिक्षा को विनियमित करने से संबंधित है। कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा सी. ओ. ए. के गठन से संबंधित है, लेकिन उस निकाय का कार्य अनिवार्य रूप से इसके अन्य दो क्षेत्रों को विनियमित और निगरानी करना है।

मूर्ति। जहाँ तक मान्यता के प्रभाव का संबंध है, 1972 के अधिनियम की धारा 17 में कहा गया हैः

" 17. मान्यता का प्रभाव। - किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी मान्यता प्राप्त योग्यता इसके लिए पर्याप्त योग्यता होगी -

रजिस्टर में नामांकन "।

49. 1987 का अधिनियम तकनीकी शिक्षा से संबंधित है और विशेष रूप से

तकनीकी संस्थानों के अनुमोदन और उनकी निगरानी के लिए कार्यप्रणाली। इन कार्यवाही में विवाद उत्पन्न हुआ है क्योंकि "तकनीकी शिक्षा" की परिभाषा में वास्तुकला को अन्य विषयों के साथ शामिल किया गया है।

[धारा 2 (जी)]। डॉ. धवन चाहते हैं कि हम वास्तव में वास्तुकला के विषय को उक्त परिभाषा खंड से बाहर कर दें।

तकनीकी संस्थान के अनुमोदन के लिए विनियमों की प्रयोज्यता

और इसके बाद की निगरानी। उन्होंने 1987 के अधिनियम की धारा 2 के प्रारंभिक वाक्य का उल्लेख किया है, जिसमें परिभाषाएँ और पाठ शामिल हैंः

" इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो। उनके अनुसार इस तरह का संदर्भ बाहरी हो सकता है।

विशिष्ट कानून और इसमें अन्य विद्यमान विधान शामिल हैं। इस प्रस्तुति से निपटने से पहले, हम इसकी कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेंगे।

दो अधिनियम।

तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

संबंधित अधिनियमों के तहत गठित। ए. आई. सी. टी. ई. का तर्क है कि बाद के क़ानून को प्रबल होना चाहिए और एक परिणाम के रूप में बाद के क़ानून के तहत बनाए गए विनियमों को प्रबल होना चाहिए। सी. ओ. ए. चाहता है कि उसकी शक्ति कम हो 1972 के अधिनियम के बल पर वास्तुकला शिक्षा के संबंध में एक नियामक के रूप में ए. आई. सी. टी. ई. की प्रमुख भूमिका एक विशेष अधिनियम है। 1987 के अधिनियम के तहत तीन विनियम जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, वे सीधे तौर पर किसी विशिष्ट मानदंड या मानक को निर्धारित नहीं करते हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए। ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा उपरोक्त विनियमों के अनुसरण में ऐसे मानदंड निर्धारित किए गए प्रतीत होते हैं। 1994 के दो विनियम विशेष रूप से ऐसे मानदंड निर्धारित नहीं करते हैं। 2016 के विनियमों में अनुमोदन प्रक्रिया हस्तपुस्तिका का प्रावधान है जिसे समय-समय पर अनुमोदन दिए जाने के तरीके को निर्धारित करते हुए प्रकाशित किया जा सकता है।

52. तमिलनाडु राज्य और एक अन्य (उपरोक्त) के मामले में, राज्य विधानों के बीच संघर्ष था, जो तमिलनाडु निजी था।

महाविद्यालय (विनियमन) अधिनियम, 1976 और मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1923 और 1987 अधिनियम के प्रावधान। इस निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 30. केंद्रीय अधिनियम और विश्वविद्यालय अधिनियम की तुलना से पता चलेगा कि जहां तक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का संबंध है, परिषद और विश्वविद्यालय के कार्यों के बीच टकराव है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 10 के तहत, यह परिषद है जिसे उपयुक्त प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष रूप से अनुदान आवंटित करने और वितरित करने की शक्ति सौंपी गई है। बनाए रखने के लिए मानदंडों और तंत्रों को शामिल करना तकनीकी संस्थानों की जवाबदेही, पाठ्यक्रम, कर्मचारी पैटर्न, कर्मचारी योग्यता, मूल्यांकन और परीक्षाओं के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना, शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क लेने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश तय करना, नए तकनीकी संस्थान शुरू करने या नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी देना या

कार्यक्रम, मानदंड निर्धारित करना या तकनीकी संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करना, छात्रों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना,

महाविद्यालयों का निरीक्षण या निरीक्षण कराना, पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के संबंध में अनुदान को रोकना या बंद करना, विभिन्न स्तरों और प्रकारों पर संस्थानों को अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित करना, अधिनियम के तहत गठित आयोग को सलाह देना -

तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय घोषित करना, समय-समय पर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना करना

निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों और मानकों के आधार पर मूल्यांकन करना और उसे या परिषद को सिफारिशें करना। या आयोग या अधिनियम के तहत अन्य निकाय

संस्था या उसके द्वारा संचालित कार्यक्रम की मान्यता या मान्यता रद्द करना। इस प्रकार, जहाँ तक इन मामलों का संबंध है, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के मामले में, यह विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय अधिनियम और इसके तहत बनाई गई परिषद है जिसका अधिकार क्षेत्र होगा। उस हद तक, केंद्रीय अधिनियम के लागू होने के बाद, विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों को निम्नलिखित माना जाएगा -

इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे तकनीकी कॉलेजों के मामले में अप्रवर्तनीय हो जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, केंद्रीय अधिनियम को संसद द्वारा सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत तकनीकी संस्थानों के मानकों के साथ-साथ सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत समन्वय और निर्धारण के लिए अधिनियमित किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे तकनीकी कॉलेजों की संबद्धता के संबंध में विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान और विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह की संबद्धता के अनुदान और निरंतरता के लिए शर्तें, हालांकि, प्रौद्योगिकी के लिए सभी भारतीय परिषद बनी रहेंगी।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

प्रभावी लेकिन संबद्धता के अनुदान और निरंतरता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों में होना होगा

द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुरूप धारा 10 के तहत उसे सौंपे गए मामलों के संबंध में परिषद

केंद्रीय अधिनियम "।

53. उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) का मामला भी ए. आई. सी. टी. ई. से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता के सवाल पर ए. आई. सी. टी. ई. को प्राथमिकता देता है। इस मामले में, इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया कि क्या कॉलेजों द्वारा संचालित इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदन के अभाव में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से खुले विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किया जा सकता है। इस मामले और पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य (ऊपर) के मामले पर पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है। ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से उद्धृत ये प्राधिकरण हालांकि दो केंद्रीय कानूनों के तहत बनाए गए दो विनियमों से उत्पन्न संघर्ष से नहीं निपटते हैं, दोनों दो अलग-अलग वैधानिक निकायों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष विषय पर नियामक शक्तियां प्रदान करते हैं। भारतीदासन विश्वविद्यालय (ऊपर) के मामले में निर्णय का अनुपात,

एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेज (उपरोक्त) के मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख किया गया है।

सी. ओ. ए. के इस तर्क का समर्थन कि 1972 के अधिनियम को एक के रूप में माना जाना चाहिए

इसके तहत बनाए गए विशेष क़ानून और विनियमों को 1987 के अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों पर हावी होना चाहिए।

54. अतिव्यापी विषय होने के एकमात्र कारण से, न्यायालय सीधे यह पता लगाने की कवायद में नहीं पड़ सकते हैं कि क्या एक क़ानून है।

दूसरे को ग्रहण करने का इरादा रखता है। लेकिन अपीलों के वर्तमान समूह में, दोनों कानूनों के प्रावधानों का विश्लेषण करके एक-दूसरे को ओवरराइड करने के विधानमंडल के इरादे की जांच की जा सकती है। इस तरह की स्थिति में नियामक निकायों का कर्तव्य एक एकीकृत शासन के साथ आना होगा, जिसकी इस न्यायालय को नगर परिषद, पलिया (ऊपर) के मामले में उम्मीद थी। वास्तुकला शिक्षा के क्षेत्र में दो नियामक निकायों ने हालांकि यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया है और दूसरी ओर वे मैदान-नियंत्रण को लेकर विवाद में उलझे हुए हैं। ऐसी स्थिति में, सामान्य परिस्थितियों में पहले प्रतिस्पर्धी वैधानिक साधनों के सामंजस्य का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि वह अभ्यास विफल हो जाता है, तो उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि किसी विशेष क़ानून का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख विषय क्या है और फिर [2019] 15 एस. सी. आर. से मेल खाने के लिए संबंधित विनियमों के परस्पर विरोधी प्रावधानों का अर्थ निकालना होगा।

प्रमुख वैधानिक उद्देश्य। एल. आई. सी. बनाम के मामले में। डी. जे. बहादुर (ऊपर) ने इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह टिप्पणी की हैः -

" 52. यह निर्धारित करने में कि कोई क़ानून विशेष है या सामान्य, ध्यान मुख्य विषय-वस्तु और विशेष परिप्रेक्ष्य पर होना चाहिए। कुछ उद्देश्यों के लिए, एक अधिनियम सामान्य हो सकता है और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए यह विशेष हो सकता है और हम कानून के सूक्ष्म बिंदुओं से निपटने के दौरान अंतर को धुंधला नहीं कर सकते हैं। कानून में, हमारे पास सापेक्षता का एक ब्रह्मांड है, निरपेक्ष नहीं-जीवन में भी ऐसा ही है।

55. निहित निरसन के विषय पर, न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पाठ्यक्रम को न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह (14 वां संस्करण) द्वारा प्रसिद्ध पाठ "सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत" में समझाया गया है। हम इस पाठ के पृष्ठ 737 से निम्नलिखित उद्धरण नीचे देते हैंः

" निहितार्थ द्वारा निरसन के विरुद्ध एक धारणा है; और इस नियम का कारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि विधानमंडल को किसी कानून को लागू करते समय उसी विषय-वस्तु पर मौजूदा कानूनों का पूरा ज्ञान होता है, और इसलिए, जब वह निरसन प्रावधान प्रदान नहीं करता है, तो यह मौजूदा कानून को निरस्त नहीं करने का इरादा देता है। जब नए अधिनियम में उन अधिनियमों का उल्लेख करने वाली एक निरसन धारा शामिल होती है जिन्हें वह स्पष्ट रूप से निरस्त करता है,

अन्य कानूनों के निहित निरसन के खिलाफ धारणा आगे है

इस सिद्धांत पर मजबूत किया गया है कि व्यक्तिकरण विशिष्टता है

मौजूदा विधान, निरसन के एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, माना जा रहा है कि यह दिखाने का बोझ है कि निहितार्थ द्वारा निरसन उस पक्ष पर निर्भर करता है जो उसी पर जोर देता है। हालाँकि, इस धारणा का खंडन किया जाता है और एक निरसन का अनुमान आवश्यक निहितार्थ से लगाया जाता है जब बाद के अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाता है।

पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों के साथ इतना असंगत या प्रतिकूल कि दोनों एक साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन, अगर दोनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है और कुछ आवेदन किया जा सकता है

पूर्ववर्ती अधिनियम के शब्दों में, निरसन का अनुमान नहीं लगाया जाएगा।

56. इनमें से प्रत्येक अपील में शामिल विवादों को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए यह पता लगाना उचित होगा कि इन दोनों में से किस नियामक निकाय का निर्णय प्रभावी होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए यह

वास्तुकला शिक्षा के क्षेत्र को शामिल करने वाले दोनों कानूनों के प्रमुख उद्देश्य का पता लगाने के लिए आवश्यक है। 1987 के अधिनियम की धारा 10 ए. आई. सी. टी. ई. को तकनीक के लिए अखिल भारतीय परिषद विषयों पर कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अनिवार्य करती है।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

उसमें निर्दिष्ट किया गया है। लेकिन भारतीदासन विश्वविद्यालय (ऊपर) और एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेज (ऊपर) के मामलों में दो-दो न्यायाधीशों वाली इस अदालत की दो पीठों द्वारा पहले ही यह निर्णय दिया जा चुका है कि कोई विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेज एआईसीटीई की मंजूरी के बिना तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम चला सकते हैं।

57. मान्यता और उसके प्रभाव की प्रक्रिया अधिक है।

1972 के अधिनियम के तहत विस्तार। सभी "प्राधिकरणों" को किसी भी डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता की आवश्यकता होती है।

अधिनियम के लागू होने के समय मौजूद संस्थानों को छोड़कर इस तरह की मान्यता प्रक्रिया से गुजरने से किसी भी संस्थान का कोई बहिष्कार या छूट नहीं है। सी. ओ. ए. के पास प्रत्येक प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत व्यापक निगरानी शक्ति भी है जो उक्त अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करता है। 58. इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 17 एक गैर-बाध्यकारी खंड से लैस है। 1972 के अधिनियम की धारा 17 में उक्त खंड का निहितार्थ यह है कि भारत में वास्तुकारों के रजिस्टर पर होने के लिए, मान्यता प्राप्त योग्यता पर्याप्त होगी। 1972 के अधिनियम या उसके तहत किसी भी नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो वास्तुकला में ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थान से प्रशिक्षित व्यक्ति को वर्णन करने का अधिकार देता हो।

स्वयं एक वास्तुकार के रूप में या 1972 के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता के बिना खुद को पंजीकृत करें। यह अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों से स्पष्ट होगा, जिसमें कहा गया हैः

" 35. पंजीकरण का प्रभाव। (1) किसी वास्तुकार के लिए तत्काल लागू किसी भी कानून में किसी भी संदर्भ को एक माना जाएगा

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत एक वास्तुकार का संदर्भ। (2) धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त तिथि से दो साल की समाप्ति के बाद, रजिस्टर में पंजीकृत व्यक्ति को नीचे दिए गए प्रावधानों के तहत वास्तुकार के रूप में नियुक्ति के लिए वरीयता मिलेगी।

केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय निकाय या संस्थान में जो सार्वजनिक या स्थानीय निधियों से या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी क्षेत्र में समर्थित या सहायता प्राप्त है।

उक्त प्रावधान की उप-धारा (2) विषय विवाद के निर्णय के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। इस प्रकार अधिनियम की योजना यह दर्शाता है कि 1972 के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता की कमी किसी व्यक्ति को [2019] 15 एस. सी. आर. के रूप में पंजीकृत होने से वस्तुतः वंचित कर देगी।

वास्तुकार। वह कानूनी रूप से खुद का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं होगा

भारत में वास्तुकार। यह वैधानिक अधिदेश होने के कारण, एक वास्तुकार की योग्यता की मान्यता की प्रक्रिया में सी. ओ. ए. की भूमिका को ऐसा नहीं कहा जा सकता है - 1987 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। यह एक तथ्य है कि 1987 का अधिनियम मुख्य रूप से एक तकनीकी संस्थान की स्थापना और संचालन से संबंधित है न कि ऐसे संस्थानों से अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के व्यवसायों को विनियमित करने से। लेकिन 1972 के अधिनियम के तहत, एक पाठ्यक्रम का संचालन करना

इसे उक्त अधिनियम से अलग नहीं किया जा सकता है और यह माना जा सकता है कि इसे 1987 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह 1972 के अधिनियम को अव्यवहारिक बना देगा। 59. 1972 के अधिनियम का तीसरा विशिष्ट तत्व यह है कि सी. ओ. ए. अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकरण नहीं है, बल्कि डिग्री या डिप्लोमा की मान्यता की प्रक्रिया के संबंध में यह केंद्र सरकार है

वास्तुकला शिक्षा में या उसे वापस लेना। इस तरह का निर्णय सी. ओ. ए. के साथ परामर्श के बाद लिया जाना आवश्यक है। लेकिन चूंकि सी. ओ. ए. को मान्यता मानदंडों और मान्यता प्रदान करने वाले संस्थानों की निगरानी के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

वास्तुकला शिक्षा, ऐसी प्रक्रिया में सी. ओ. ए. की भूमिका महत्वपूर्ण है। ए. आई. सी. टी. ई. की अनुमोदन शक्ति प्रत्यक्ष है। लेकिन यदि ए. आई. सी. टी. ई. के मानदंड सी. ओ. ए. के साथ टकराव में आते हैं, तो सी. ओ. ए. केंद्र सरकार को कोई भी रिपोर्ट या प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। इस तरह के मामले में 1972 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिया गया केंद्र सरकार का निर्णय स्पष्ट रूप से प्रबल होगा, बाद वाला दोनों कानूनों के तहत गठित दोनों परिषदों से श्रेष्ठ प्राधिकरण है।

60. ए. आई. सी. टी. ई. तकनीकी शिक्षा की परिभाषा के बल पर वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को विनियमित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। शिक्षा, जिसे शिक्षा के कार्यक्रमों के रूप में परिभाषित किया गया है,

वास्तुकला में अनुसंधान और प्रशिक्षण। "तकनीकी शिक्षा" को विनियमित करने का ए. आई. सी. टी. ई. का कर्तव्य 1987 के अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से लिया गया है। सी. ओ. ए. की ओर से 1987 के अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया है कि वास्तुकला शिक्षा को विनियमित करने के संदर्भ में तकनीकी शिक्षा की परिभाषा से "वास्तुकला" अभिव्यक्ति को हटाने की आवश्यकता है। पुष्पादेवी और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक के व्याख्या खंड में निहित परिभाषा को अर्थ देते हुए "आंतरिक और बाहरी संदर्भ" का उल्लेख करने की अनुमति है।

ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

एक मूर्ति। इस निर्णय में, यह देखा गया कि परिभाषा में पूरी तरह से व्यक्त एक शब्द के क़ानून के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। मोटे तौर पर, निर्माण का एक ही सिद्धांत रहा है प्रिंटर्स (मैसूर) लिमिटेड और एक अन्य (ऊपर) और व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन (ऊपर) के मामलों में अपनाया गया।

के. वी. मुथु (उपरोक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया हैः " 12. जहाँ परिभाषा या अभिव्यक्ति, जैसा कि तत्काल मामले में, है

"जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो" शब्दों से पहले, खंड में निर्धारित उक्त परिभाषा को लागू किया जाना है और इसे प्रभावी बनाया जाना है, लेकिन इस नियम को, जो कि सामान्य नियम है, हटा दिया जा सकता है।

यदि संदर्भ में यह दिखाने के लिए कुछ है कि परिभाषा को लागू नहीं किया जा सकता है।

61. जहाँ तक इन अपीलों का संबंध है, वास्तुकला को ए. आई. सी. टी. ई. के दायरे से पूरी तरह से बाहर करने के लिए, वह अभिव्यक्ति, अर्थात।

भारतीदासन विश्वविद्यालय (ऊपर) और निजी महाविद्यालय प्रबंधन संघ (ऊपर) के मामलों में, वास्तुकला शिक्षा को विनियमित करने वाले दो समानांतर प्राधिकरण होंगे। सी. ओ. ए. करेगा नियमन ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज, जबकि

ए. आई. सी. टी. ई. बाकी संस्थानों की निगरानी करेगा। इसके अलावा, वास्तुकला में योग्यताओं को मान्यता देने का केंद्र सरकार का अधिकार शिक्षा को एक निकाय, ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और वह भी केवल कुछ श्रेणियों के तकनीकी संस्थानों के संबंध में।

62. जिन अधिकारियों का हमने उल्लेख किया है वे प्रस्ताव के पक्ष में हैं।

कि परिभाषा खंड में जो कहा गया है उससे अलग अर्थ एक क़ानून के विभिन्न हिस्सों में एक शब्द को दिया जा सकता है यदि संदर्भ ऐसा चाहता है। इन अपीलों में शामिल विषय-विवाद के लिए तकनीकी की परिभाषा से वास्तुकला शब्द को हटाने की आवश्यकता है।

शिक्षा. इस तरह का पाठ्यक्रम, हमारी राय में, [2019] 15 एस. सी. आर. से बहने वाले बेतुके या अव्यवहारिक परिणामों को रोकने के लिए निर्माण का एक अनुमेय उपकरण भी है।

कानून। यहाँ हम एफ ए आर बेनिओन द्वारा "वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन", लेक्सिसनेक्सिस द्वारा प्रकाशित पांचवें संस्करण (पृष्ठ 972 पर) से निम्नलिखित अंश को पुनः प्रस्तुत करते हैं।

66 तनावपूर्ण निर्माण हमारे पास इस कथन के लिए लॉर्ड रीड का अधिकार है कि, एक अव्यवहारिक परिणाम से बचने के लिए, एक तनावपूर्ण निर्माण को उचित ठहराया जा सकता है, भले ही अधिनियम व्याकरणिक रूप से अस्पष्ट न हो। लॉर्ड रीड ने कहा कि जिन मामलों में यह उचित रूप से माना गया है कि एक शब्द को क़ानून से बाहर किया जा सकता है और दूसरे को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उनमें वह मामला शामिल है जहां इस तरह के प्रतिस्थापन के बिना प्रावधान अव्यवहारिक होगा। ”

यह आवश्यक है क्योंकि बाहरी संदर्भ में 1987 के अधिनियम के कार्यान्वयन में एक अव्यवहारिक परिणाम को रोकने की आवश्यकता है। जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का संबंध है, निहित निरसन का सिद्धांत 1987 के अधिनियम के लागू होने के आधार पर लागू नहीं हो सकता है। 1972 के अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक वास्तुकला पर योग्यताओं की मान्यता है। एक वास्तुकार का पंजीकरण है ऐसी मान्यता प्राप्त योग्यता के अधिग्रहण पर निर्भर। उक्त अधिनियम को परिभाषा में "वास्तुकला" शब्द को शामिल करने के एकमात्र कारण के निहितार्थ से निरस्त नहीं किया जा सकता है।

तकनीकी शिक्षा। ए. आई. सी. टी. ई. यह स्थापित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है कि 1972 के अधिनियम के उक्त प्रावधानों को निहितार्थ द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

64. तदनुसार हमारा मानना है कि जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का संबंध है, 1972 का अधिनियम प्रबल होगा। ए. आई. सी. टी. ई. इस विषय में डिग्री और डिप्लोमा के संबंध में कोई नियामक उपाय लागू करने का हकदार नहीं होगा।

वास्तुकला। 1972 के अधिनियम के तहत सी. ओ. ए. और अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंडों और विनियमों का पालन करना होगा। वास्तुकला में डिग्री और डिप्लोमा के लिए शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था।

65. अब हम व्यक्तिगत अपीलों की ओर रुख करेंगे -

(क) हम 2005 की अपील No.364 के विषय-वस्तु बनाने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखते हैं।

तकनीक के लिए परिषद। ईडीयू। वी. प्रिंस शिवाजी मराठा जी हाउस कॉलेज। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

दूसरी सिविल अपील (एसएलपी (सी) No.8443/2011 से उत्पन्न) भारतीय विद्या मंदिर शिक्षा समिति है। इसने सीओए प्राप्त करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। अनुमोदन या उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता। यह चाहता है कि ए. आई. सी. टी. ई. मानदंडों के अनुपालन को पर्याप्त माना जाए। कारणों से

इस फैसले में पहले बताया गया था कि हम भारतीय विद्या मंदिर शिक्षा समिति की अपील को खारिज करते हैं। द हाई

अदालत ने सी. ओ. ए. द्वारा बताई गई शर्तों के अनुपालन की अपील के तहत फैसले में निर्देश दिया है। इसमें शामिल शैक्षणिक सत्र 2010-2011 है। यह न्यायालय विश्वविद्यालय की अपील में नोटिस के स्तर पर है

[2011 के एस. एल. पी. (सी) No.5400 ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद ये

इस न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के साथ समय-समय पर प्रवेश। हम तदनुसार राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस अपील का निपटारा करते हैं निर्देश कि 1972 के अधिनियम में निहित मान्यता की प्रक्रिया को आगे कोई प्रवेश होने से पहले विषय संस्थान के संबंध में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के संदर्भ में पहले से किए गए प्रवेशों का संबंध है, हम निर्देश देते हैं कि इस तरह के प्रवेशों में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। हम ऐसा निर्देश देते हैं, जैसा कि हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने स्वयं [2019] 15 एस. सी. आर. की अपील और अनुपालन के तहत फैसले में सी. ओ. ए. मानदंडों के अनुपालन का निर्देश दिया था।

न्यायालय की पूर्व रिपोर्ट

एक वर्ष के भीतर। इस प्रकार, हमारी राय में, सी. ओ. ए. मानदंडों का काफी हद तक पालन करने का निर्देश दिया गया था। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि एआईसीटीई के पास कोई नियामक नहीं होगा जहाँ तक वास्तुकला शिक्षा का संबंध है, संबंधित संस्थान पर नियंत्रण। हमारी राय है कि 2011 के एस. एल. पी. (सी) No.20460 से उत्पन्न अपील में सी. ओ. ए. को इस रूप में शामिल किया जाना चाहिए था -

उक्त रिट याचिका में पक्षकार प्रतिवादी। हम भी हैं।

इस राय का कि सी. ओ. ए. की अनुपस्थिति में अपील के तहत निर्णय में निहित निर्देशों को जारी करने के लिए उच्च न्यायालय का निर्णय उत्तरदाताओं की श्रृंखला में जोड़ा जा रहा है

गलत था। लेकिन हम कोई स्वतंत्र निर्देश जारी नहीं करते हैं क्योंकि इन अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई थी क्योंकि समूह के मामलों और सी. ओ. ए. की शिकायतों पर विचार किया गया है।

हमारे निर्णय में संबोधित। यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि 1972 का अधिनियम वास्तुकला शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता के प्रश्न पर प्रबल होगा, हम उपरोक्त शर्तों में सी. ओ. ए. की इस अपील का निपटारा करते हैं। एस. एल. पी. (सी) सं. 17005 से उद्भूत सिविल अपील

2016 और 2016 के एसएलपी (सी) No.17006 को एआईसीटीई द्वारा एक सामान्य निर्णय के खिलाफ स्थापित किया गया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2013 की रिट अपील No.110 और 2013 की रिट अपील संख्या 112 में। इन मामलों में विवाद पाठ्यक्रम चलाने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. से अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करने के प्रश्न से संबंधित है।

वास्तुकला। पूर्व अपील से उत्पन्न हुआ प्रवेश क्षमता से अधिक दो छात्रों के प्रवेश पर ए. आई. सी. टी. ई. और सी. ओ. ए. द्वारा जारी विरोधाभासी निर्देश।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय में कहा है कि विवाद बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले से उत्पन्न अपील के परिणाम के अधीन होंगे। यह पहली अपील है जिस पर हमने इस फैसले में विचार किया है। तदनुसार हम पूर्ववर्ती उप-अनुच्छेद (क) में निहित अपने निर्णय के संदर्भ में इन दोनों अपीलों का निपटारा करते हैं। ए. आई. सी. टी. ई. के पास इसे लागू करने की कोई शक्ति नहीं होगी। संबंधित संस्थान पर अब तक के विनियामक उपाय

जैसा कि वास्तुकला शिक्षा का संबंध है।

तकनीक। ईडीयू। वी. राजकुमार शिवाजी मराठा 523 LLEGE। आर्क का। [अनिरुद्धबोस, जे।]

के तहत प्राप्त मान्यता के साथ काम करने के लिए इन अपीलों में पारित की गई अपीलें भंग हो जाएंगी। बी का निपटान किया जाएगा। वहाँ नहीं होगा

अपीलों का निपटारा किया गया।